

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
O.A. NO. 347/2016**

**IN THE MATTER OF**

**CHANDRA BHAL SINGH**

... APPLICANT

**VERSUS**

**UNION OF INDIA & ORS.**


... RESPONDENTS

**INDEX**

<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No.</b>
1.	Affidavit on behalf of Resp. No. 14 Madhya Pradesh Biodiversity Board in compliance of orders dated 09.08.2019 & 18.03.2020	1-7
2.	<b><u>Annexure – 1</u></b> : A copy of Office Memorandum of Constitution of Monitoring Committee for overseeing the quality of PBR by NBA, dated 20/01/2020	8- 13
3.	<b><u>Annexure – 2</u></b> : A copy of order by NBA to States for constituting State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, dated 30/03/2020	14- 17
4.	<b><u>Annexure – 3</u></b> : A copy of process of preparation of Digital and Dynamic PBRs on the basis of secondary data by providing technical support	18- 43
5.	<b><u>Annexure – 4</u></b> : A copy of order of State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, dated 28/05/2020	44
6.	<b><u>Annexure – 5</u></b> : A copy of order of State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Sub-Committee, dated 24/06/2020	46- 47
7.	<b><u>Annexure – 6</u></b> : A copy of order of Board Level PBR Technical Screening Committee, dated 18/06/2020	48

8.	<u>Annexure – 7</u> : A copy of Board's Order to Panchayat and Rural Development Department for BMC formation, dated 04/07/2020	49
9.	<u>Annexure – 8</u> : A copy of the order of nomination PIC and MIC, dated 08/06/2020	50
10.	<u>Annexure – 9</u> : A copy of minutes of meeting of PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, dated 17/07/2020	51- 77
11.	<u>Annexure – 10</u> : A copy of minutes of meeting of PBR Quality Evaluation Monitoring Sub-Committee, dated 17/07/2020	78- 100
12.	<u>Annexure – 11</u> : A copy of status of BMC as updated on 10/07/2020	101
13.	<u>Annexure – 12</u> : A copy of status of PBR as updated on 10/07/2020	102
14.	<u>Annexure – 13</u> : A copy of Agenda for Circulation, dated 25/07/2020	103 - 110
15.	Proof of Service	111- 113

DATED: 07.09.2020  
PLACE: NEW DELHI

  
Respondent No.14  
(V.K. SHUKLA)  
Counsel for Respondent No.14  
B-69, LGF, Lajpat Nagar  
New Delhi – 110024  
Mob. No. 8800131234

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
O.A. NO. 347/2016

IN THE MATTER OF


CHANDRA BHAL SINGH

... APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS.

... RESPONDENTS



**AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESP. NO. 14 - MP STATE  
BIODIVERSITY BOARD IN COMPLIANCE OF ORDER  
DATED 09.08.2019 and 18.03.2020**

I, Jasbeer Singh Chauhan S/o Late Shri S.S Chauhan, aged about 57 years, Member Secretary, M.P. State Biodiversity Board, 26 Kisan Bhavan, 1st Floor, Arera Hills, Bhopal, M.P., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:-

1. That, I am the Member Secretary of the Respondent No.14 and as such I am well conversant with the facts and circumstances of the case and am competent to swear this affidavit.
2. That vide order dated 09/08/2019 passed in OA No. 347 of 2016, this Hon'ble Tribunal was pleased to make certain observations with respect to BMC constitution and PBR preparation at National level and expressed its concern over the implementation of the BD Act 2002. Government of MP and MPSBB are one of the respondents of the case.
3. It is humbly submitted that Madhya Pradesh State Biodiversity Board has complied with all the directions of Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi dated 09/08/2019. The status of constitution of BMCs and preparation of PBRs in the State of Madhya Pradesh is 100%, as updated on 10/07/2020. We have constituted BMCs and prepared PBRs, respectively, at all levels. For detailed process and updates please see **Annexures 1 to 13**.

Status of BMC Constitution with Local Bodies	Total	Constituted BMCs	%
<b>Rural Development &amp; Panchayat</b>			
Jila (District) Panchayat	52	52	100.00
Janpad (Block) Panchayat	313	313	100.00
Gram Panchayat	22814	22814	100.00
<b>Total</b>	<b>23179</b>	<b>23179</b>	<b>100.00</b>
<b>Urban Development</b>			
Nagar Nigam	16	16	100.00
Nagar Palika	98	98	100.00
Nagar Parisad	264	264	100.00
<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Grand Total</b>	<b>23557</b>	<b>23557</b>	<b>100.00</b>

Status of PBR Preparation	Total	PBRs Prepared	%
<b>Rural Development &amp; Panchayat</b>			
Jila (District) Panchayat	52	52	100.00
Janpad (Block) Panchayat	313	313	100.00
Gram Panchayat	22814	22814	100.00
<b>Total</b>	<b>23179</b>	<b>23179</b>	<b>100.00</b>
<b>Urban Development</b>			
Nagar Nigam	16	16	100.00
Nagar Palika	98	98	100.00
Nagar Parisad	264	264	100.00
<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Grand Total</b>	<b>23557</b>	<b>23557</b>	<b>100.00</b>

4. That the MPSBB has also filed an affidavit of compliance on 27.01.2020 vide Diary No. 164/20 which is at pages 1848 to 2017 of the Hon'ble Tribunal's paperbook.

5. That the following steps have been taken by MPSBB to achieve 100% compliance of Hon'ble Tribunal's directions dated 09/08/2019;

a. PBRs are validated by BMCs. The field verification and updating of digital and dynamic PBRs shall be made once the COVID-19 situation normalizes. A copy of Office Memorandum of Constitution of Monitoring Committee for overseeing the quality of PBR by NBA, dated 20.01.2020 is annexed as **ANNEXURE : 1** and a copy of order by NBA to States for constituting State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee dated 30.03.2020 is annexed as **ANNEXURE : 2.**

b. That Madhya Pradesh State Biodiversity Board complied with the directions of National Biodiversity Authority, Chennai by making digital and dynamic PBRs on the basis of secondary data, even under the prevailing COVID-19 situation in the shortest possible time frame. A copy of process of preparation of digital and dynamic PBRs on the basis of secondary data by providing technical support is annexed as **ANNEXURE-3.**

c. Constitution of State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, dated 28/05/2020. A copy of order of State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee dated 28.05.2020 is annexed as **ANNEXURE : 4.**

Constitution of State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Sub-Committee dated 24/06/2020. A copy of order of State Level PBR Quality Evaluation Monitoring Sub-committee dated 24.06.2020 is annexed as **ANNEXURE : 5.**

c. Constitution of Board Level PBR Technical Screening Committee, dated 18/06/2020. A copy of order of Board Level PBR technical screening Committee dated 18.06.2020 is annexed as **ANNEXURE : 6.** All these committees regularly monitored and guided the constitution of BMCs and preparation of PBRs.

A copy of Board's order to Panchayat & Rural Development Department for BMC formation dated 4.7.2020 is annexed as **ANNEXURE : 7.**

A Copy of order of Nomination of PIC and MIC, dated 08.06.2020 is annexed as **ANNEXURE : 8.**

A copy of minutes of meeting of PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, dated 17/07/2020 is annexed as **ANNEXURE : 9.**

A copy of minutes of meeting of PBR Quality Evaluation Monitoring Sub-Committee, dated 17/07/2020 **ANNEXURE : 10.**

A copy of status of BMC as updated on 10/07/2020 **ANNEXURE : 11.**

A copy of status of PBR as updated on 10/07/2020 **ANNEXURE : 12.**

A copy of Agenda for Circulation, dated 25/07/2020 **ANNEXURE : 13.**

6. That MPSBB has complied with 100% targets with respect to BMC constitution and PBR preparation as per the directions and orders of Hon'ble tribunal.
7. That as per the directions of National Biodiversity Authority, Chennai digital and dynamic PBRs have been prepared.

It is therefore, most respectfully prayed before this Hon'ble Tribunal that the present affidavit on behalf of MPSBB may be taken on record and the penalty, if any levied on the Board, since 18/03/2020 may kindly be waived, taking into consideration the fact that MPSBB had overcome all its challenges even during COVID-19 pandemic situation and has achieved 100% status in constitution of BMCs and preparation of PBRs. The deponent shall ever pray as duty bound for the same.

**DEPONENT**

**VERIFICATION**

I, the above named Deponent do hereby verify that the contents of this Affidavit are true to the best of my knowledge and belief and no material fact has been concealed or suppressed therefrom.

Verified On This 07 Day Of September, 2020 At Bhopal.



*[Handwritten mark]*

**DEPONENT**



DEPT  
SIGN. *[Signature]*  
NAME Mohd. Rizwan Khan  
ADDRESS 26, Aareya Hills, Bhopal  
COLEMNLY AFFIRMED BEFORE  
ME BY THE  
NO. *[Signature]*  
7 SEP 2020



# National Biodiversity Authority

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(A Statutory body of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

ANNEXURE



+91 44 2254 2777 / 1075  
+91 44 2254 1200  
www.nbaindia.org

5<sup>th</sup> Floor, CSIR Road, TICEL Bio Park,  
Taramani, Chennai - 600 113, Tamil Nadu, India  
5 वां तल, सीएसआईआर रोड, टाइसल बायो पार्क,  
तरमणि, चेन्नई - 600113 तमिल नाडु, भारत.

No. NBA/15/30/2019/SBB/NGT / 35 33

Dated 20.01.2020

## OFFICE MEMORANDUM

**Sub:** Constitution of Monitoring Committee for overseeing the quality of People's Biodiversity Registers (PBRs) by evolving a suitable mechanism – regarding  
**Ref:** Office Memorandum No. C-12027/6/2016-CS III dated 15/01/2020 of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, CS-III (Biodiversity) Division.

Section 41(1) of the Biological Diversity Act, 2002 states that, "Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity."

2. As per Rule 22(6) of the Biological Diversity Rules, 2004, the main function of the Biodiversity Management Committee is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them. The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Bio-diversity Management Committee.

3. People's Biodiversity Registers (PBRs)) are statutory technical documents that capture all the details of biological resources and associated knowledge available in the jurisdiction of the local body. Any person or entity accessing these biological resources or associated knowledge for research / bio-survey / bio-utilization / commercial utilization, are under obligation to share a portion of their benefit to the local communities to help in the conservation and sustainable availability of these resources.

4. Preparation of PBRs require technical expertise at various stages. Compiling and collating the biological resources requires a comprehensive understanding of the subject matter. Therefore, a general awareness is required amongst local bodies for decision making in the use of biological resources available in their jurisdiction.

5. The Principal Bench of the Hon'ble National Green Tribunal vide Order dated 9<sup>th</sup> August 2019 in OA No. 347 of 2016 had issued instructions to constitute a monitoring Committee to oversee the quality of PBRs on sample basis by evolving a suitable mechanism.

Ranky

FCPBBJ-V  
7/2/20

म. प्र. राज्य जैवविविधता	
शाखा	AMS (C-III)
टी.एल.	
निर्देश	

*[Handwritten signature]*



7.2.20

6. Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Office Memorandum referred above, has constituted two Committees which will monitor the quality of PBRs.

7. The Committees would be as follows:-

A. **Monitoring Committee – I** for States / Union Territories – Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha, Goa, Andaman and Nicobar, Dadra and Nagar Haveli, Diu and Daman, Lakshadweep and Puducherry is as below:


S.No.	Name	Designation / Organisation	Chairperson / Members
1	Dr. S.K. Khanduri	Ex-PCCF, Kerala	Chairperson
2	Dr. Joseph Bagyaraj	Microbiologist and Honorary Scientist	Member
3	Dr.Oomen V Oomen	Ex -Chairman, SBB, Kerala	Member
4	Dr. D. Narasimhan	Retd. Professor, Madras Christian College	Member
5	Dr. Ramakrishna	Ex-Director, ZSI	Member
6	Dr. V.G. Malathi	Ex-Principal Scientist, ICAR	Member

B. **Monitoring Committee – II** for States / Union Territories – Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Haryana, Manipur, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh is as below:

S.No.	Name	Designation / Organisation	Chairperson / Members
1	Dr.R.B.S. Rawat	Ex-PCCF, Uttarakhand	Chairperson
2	Dr. A.K. Gupta	Ex- PCCF, Tripura	Member
3	Shri R.R. Shukla	Ex-PCCF, Kerala	Member
4	Shri Arakkal Ashraf	Ex-PCCF and Ex Member Secretary, Maharashtra SBB	Member
5	Dr. P.K. Singh	Principal Scientist, National Bureau of Animal Genetic Resources	Member
6	Dr.M. Sanjappa	Ex-Director, BSI	Member
7	Dr.NeelimaJerath	Ex-Member Secretary, Punjab SBB & DG, Science City, Kapurthala	Member

8. The Secretary, NBA would serve as Member Secretary for both the committees.

- 9. The Monitoring Committees would have the following terms of reference:
  - i. To oversee the quality of PBRs on sample basis by evolving a suitable mechanism;
  - ii. To interact with relevant stakeholders who are involved in the preparation of PBRs or as it deems fit;
  - iii. To submit report to NBA every three months. The first report is to be submitted on or before 31<sup>st</sup> March 2020;
- 10. The tenure of the Committee shall be for a period of two years from the date of its constitution. The NBA may amend the TORs, if required.
- 11. The guidelines for the Committee shall be as referred to in Annexure 1.
- 12. This issues with the approval of the competent authority.

  
(J.JUSTIN MOHAN, IFS)

Secretary, National Biodiversity Authority.

To

- 1. All Members of the Committee (as per Annexure II)
- 2. All Chairman's of State Biodiversity Boards
- 3. All Member Secretaries of State Biodiversity Boards
- 4. Private Secretary to Chairman, NBA
- 5. Administrative Officer, NBA
- 6. Accounts Officer, NBA
- 7. Guard File

(11)

ANNEXURE - I

GUIDELINES

The following guidelines are issued for proper conduct of the meeting to achieve the expected outcomes.

1. Committees are being constituted mainly to advise NBA on technical, techno-legal, administrative, scientific, statutory and miscellaneous matters. The role of the Committee is more or less similar to that of '*Amicus Curiae*' in the Court of Law.
2. Chairman/Member Secretary of the Committee are empowered to invite/seek opinion of experts/special invitees, academicians and others as they deem fit.
3. The Chairman and members are requested to kindly make it convenient to attend the meeting at the fixed venue and time. The NBA / State Biodiversity Board (SBB) will arrange transport from Airport / Railway station / bus stand to and from the venue of the meeting.
4. The travel of cost by Air (Air India - economy class) / train (AC-II Tier) / road mileage etc., incurred by the Chairman and the members / invitees will be reimbursed on production of the tickets / boarding pass along with bills in the prescribed format provided by NBA/SBB. The lodging and boarding will be provided by the NBA/SBB.
5. As per the directions issued by the Ministry of Finance vide O.M. no. No.19024/2212017-E. IV, dated 19<sup>th</sup> July, 2017, the Members are required to purchase the ticket from three authorized travel agents viz. M/s Balmer Lawrie & Company limited (BLCL), M/s Ashok Travels & Tours (ATT) and Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC), or tickets may be booked directly from the Airlines.
6. The Chairman of the committee is entitled for an amount of Rs.6000/- as sitting fee per day. Members and other invitees are entitled for an amount of Rs.4000/- as sitting fee per day.
7. As per OM. No. 19047/10/2016-E-IV dt 12/4/2017 issued by Ministry of Finance, non-official members alone are entitled to draw sitting fees for attending the meetings of the Expert Committee. The definition of Non-official members as per OM are as follows: "*For the purpose of grant of sitting fee only such persons are to be considered as non-officials who are not employed in any institution / organisation / body funded by the Central Government*".

8. The committee is requested to submit a quarterly report to the NBA duly authenticated by all the members. The NBA in turn shall furnish the report to the MoEF&CC. In order to finalize and submit the report, a lump sum of Rs.5,000/- will be paid to the Chairman per quarter, to meet the postal expenses, mobile, internet charges and cost of secretarial assistance at his place of stay on request. For payment of lump sum, a self-declared certificate to the effect that the expenditure has been incurred for the above purpose has to be furnished by the Chairman.
  
9. The committee shall oversee the PBR preparation in accordance with the provisions of the Biological Diversity Act, 2002 and the Rules / Regulations / Guidelines framed thereunder.
  
10. The Chairman and members shall exchange notes and views on the subject matter to be discussed during the meeting / field visit. Given the sensitivity and nature of deliberations of the Committee, members are requested not to engage in any bilateral discussion with non-members regarding the subject matter.

X-X-X

ANNEXURE – II

1	Dr. S.K. Khanduri, 409, Nilaya Hills, Haridwar Bypass, Dehradun 248001, Uttarakhand. Tel: 9871800409; <a href="mailto:skhanduri57@gmail.com">skhanduri57@gmail.com</a>
2	Dr. R.B.S. Rawat, 188/1 Doon Valley Officers Society, Vasant Vihar, Dehradun 248006, Uttarakhand. Tel: 9412051550; <a href="mailto:raghubir226@gmail.com">raghubir226@gmail.com</a>
3	Shri R.R. Shukla, 107/112 (A) Jawahar Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh. Tel: 91 9895076129; <a href="mailto:rskerala@yahoo.co.in">rskerala@yahoo.co.in</a>
4	Dr. A.K. Gupta, Senior Professional Fellow, Wildlife Institute of India, P. O. Box #18 Chandrabani, Dehradun 248001, Uttarakhand. Tel: 94364 50822; <a href="mailto:akphayri@gmail.com">akphayri@gmail.com</a>
5	Shri Arakkal Ashraf, No-115/116, Swaraj Nagar, Manewada, Nagpur, Maharashtra. Tel: 8208020463   <a href="mailto:ash.arakkal@gmail.com">ash.arakkal@gmail.com</a>
6	Dr. Joseph Bagyaraj, No. 41 RBI Colony, Anand Nagar, Bengaluru, Karnataka. Tel: 91- 9448465368; <a href="mailto:djbagyaraj@gmail.com">djbagyaraj@gmail.com</a>
7	Dr. M. Sanjappa, 502, Block C-7, KendriyaVihar, Ballari Road, Yelahanka, Bengaluru 560064, Karnataka. Tel: Phone: 080 23330153 Ext.302. Email: <a href="mailto:sanjappam@ymail.com">sanjappam@ymail.com</a>
8	Dr. Ramakrishna, Flat No. 6, Navami Varsha Apartment, Srinivasapura, Opposite JSS Engineering College, Bangalore – 560060, Karnataka. Tel: 7760669210; <a href="mailto:ramakrishna.zsi@gmail.com">ramakrishna.zsi@gmail.com</a>
9	Dr. P.K. Singh, E-2, National Bureau of Animal Genetic Resources, GT Road bypass, PO Box-129, Karnal 132001, Haryana. Tel: Ph. 09416411329(M); <a href="mailto:pkmathura@gmail.com">pkmathura@gmail.com</a>
10	Dr.Oomen V Oomen, GRA E-77, Gandhipuram, Sreekaryam, Trivandrum 695017, Kerala. Tel: 9447728940 Email: <a href="mailto:oommenvo@gmail.com">oommenvo@gmail.com</a> ,
11	Dr. V.G. Malathi, Sreekumaran Hill Crest Apartment, CKS Avenue, Thondamuthur, Coimbatore 641046, Tamil Nadu. Tel: 8110996093; <a href="mailto:vgmalathi@rediffmail.com">vgmalathi@rediffmail.com</a>
12	Dr.NeelimaJerath, Director General, PushpaGujral Science City, Jalandhar-Kapurthala Road, Kapurthala, Punjab. Mob: 7087032265 / 9417555857; <a href="mailto:neelimakj@yahoo.co.uk">neelimakj@yahoo.co.uk</a>
13	Dr. D. Narasimhan, No. 5, Santhana Lakshmi Street, Rajeswari Nagar Selaiyur, Chennai-600 073, Tamil Nadu. Mobile: 98402 31967; <a href="mailto:narasimhand@gmail.com">narasimhand@gmail.com</a>



डॉ. वि. बि. माथुर  
अध्यक्ष

Dr. V. B. Mathur  
Chairperson


DO NO. NBA/5/30/219/SBB/NGT

Dear Shri Iqbal Singh Bains

राष्ट्रीय जैव विविधता प्रा  
National Biodiversity Authority

भारत सरकार  
Government of India

Dated: 30/03/2020



प्र. राज्य जैवविविधता <sup>Sub</sup> Implementation of the Orders of the Hon'ble National Green Tribunal, Delhi with  
खा - D.M.S. (C&D) respect to the formation of Biodiversity Management Committees (BMCs) and preparation  
एल. of People's Biodiversity Registers (PBRs) - Request to utilize funds under CAMPA and  
देश constitute a State level PBR Monitoring Committee - regarding

Ref. OA No. 347/2016 filed by Shri. Chandra Bhal Singh before the Principal Bench of  
Hon'ble NGT

Please refer to this office letter even no. dated 8th November 2019 (copy enclosed as Annexure I), by which the State Government was requested to take proactive steps to complete the formation of Biodiversity Management Committees and preparation of Peoples Biodiversity Registers for all the local bodies of the State as directed by the Hon'ble National Green Tribunal before 31/01/2020.

The status of BMCs formed and PBRs prepared in your State is as follows:-

Timeline	Total no. of local bodies (Target no)	BMCs formed	PBRs prepared
As on 31/07/2019	23617	23438	890
As on 31/01/2020		19352	938

As is evident from the above, though substantial progress has been made in respect of BMC constitution, more efforts are needed for preparation of PBRs and the task has not been completed as per the Orders of the Hon'ble NGT. The Hon'ble NGT vide Order dated 18/03/2020 has instructed all the defaulting states have to deposit Rs. 10 lakhs per month starting from 01/02/2020 to the Central Pollution Control Board (CPCB) till such time, the task is fully completed. Copy of the Order of the Hon'ble NGT is enclosed as Annexure II.

While the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and National Biodiversity Authority have been providing the required technical support for achieving the above task, the State Government is requested to provide the required infrastructure and financial support for accomplishing the target and accordingly instruct the Department of Rural Development and Panchayati Raj under whom the local bodies function to complete the process at the earliest. Once the above task has been accomplished, you are requested to inform the status, so that action can be taken to inform the Hon'ble NGT and the CPCB to stop recovering the penalty from your State from the date of completion.

Preparation of good quality PBRs is very critical for the conservation of our biological resources. The amount that would accrue for BMCs as part of Access and Benefit Sharing (ABS) would greatly depend on the biological resources indicated by the PBRs. Therefore it is very important to prepare a good quality PBR as per the format recommended by NBA. This exercise may require between Rs 5-7 lakhs per PBR depending on the extent of area under the jurisdiction of the local body and the biological diversity values therein.

In this regard, State Governments may consider spending part of the budget allocated for the Panchayati Raj Department for strengthening the BMCs and preparation of PBRs. State Governments may also consider utilizing the Compensatory Afforestation (CAMPA) Fund, in accordance with section 5(3) of the CAF Rules, 2018 for this purpose and accordingly prepare the Annual Plan of Operations for utilization of STATE CAMPA Funds.

In order to evaluate the quality of PBRs prepared by the States, NBA with the approval of the Government of India has constituted two Committees as directed by the Hon'ble NGT, which are currently in the process of evaluating the quality of PBRs on a sample basis. Copy of the OM constituting the Committee is enclosed as **Annexure III**. But considering the large number of PBRs to be evaluated, it would be practically difficult for this Committee to conduct an extensive evaluation of the quality of the PBRs prepared. Therefore, State Government is advised to constitute a 5-7 members State-level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee, comprising of subject matter experts including superannuated forest service officers which could oversee the quality of PBRs by evolving a suitable mechanism and also to support the National PBR Monitoring Committee appropriately. The NBA has developed a PBR Quality Evaluation Framework (Annexure IV), which is to be used to be used by the State-level PBR Quality Evaluation Monitoring Committee.

In the light of the recent NGT Order, you are requested to review the action taken till date with the concerned officials and finalize a road map for accomplishing the task of completing the formation of BMCs and preparation of good quality PBRs and inform this office.

In order to constantly monitor the progress in the matter, we have planned to organize interactions with the State Biodiversity Boards / UT Biodiversity Councils through video-conferencing organized with technical assistance from NIC, Chennai (dates and time given below) and you may please advise your officers to participate.

S.No.	Date	Time
1	28/04/2020	14.30 - 1700 hrs
2	29/05/2020	14.30 - 1700 hrs
3	29/06/2020	14.30 - 1700 hrs
4	30/07/2020	14.30 - 1700 hrs
5	31/08/2020	14.30 - 1700 hrs
6	21/09/2020	11.00 - 1330 hrs

Thanking you,

Yours sincerely,

  
(Dr. V. B. Mathur)  
Chairperson

To

**Shri Iqbal Singh Bains, IAS**  
Chief Secretary  
Government of Madhya Pradesh



ANNEXURE



16

डॉ. वि. वि. माथुर  
अध्यक्ष

Dr. V. B. Mathur  
Chairperson

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण  
National Biodiversity Authority

भारत सरकार  
Government of India

D.O No. NBA/15/30/2019/SBB/NGT/2348

Date: 8<sup>th</sup> November, 2019

Dear *Shri Mohanty,*

Sub: Implementation of the Order of the Hon'ble Principal Bench of National Green Tribunal, Delhi with respect to the formation of Biodiversity Management Committees (BMCs) and People's Biodiversity Registers (PBRs) – reg

Ref: OA No. 347/2016 filed by Chandra Bhal Singh (copy enclosed)

The National Biodiversity Authority (NBA) and State Biodiversity Boards (SBB) have been functioning to conserve, facilitate and regulate the biological diversity of the country within their jurisdiction as per the provisions of the Biological Diversity Act, 2002. The Act envisages that the State Government shall constitute Biodiversity Management Committee (BMC) in each local body which will document the biological resources in their jurisdiction and prepare a People's Biodiversity Register (PBR). The use of any biological resource for commercial use by an Indian entity would require the consent of the concerned BMC and the SBB and in the case of a foreign entity, the approval of the NBA is mandatory.

As there has been an inordinate delay in the formation of the BMCs and completion of PBRs, the Principal Bench of the Hon'ble Green Tribunal vide Order dated 9th August 2019 in OA 347/16 had issued directions to the State Governments to complete the process of BMCs and PBRs in their respective states by 31st January 2020 and had instructed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) and the National Biodiversity Authority to conduct a monthly review on the progress made by the State Governments and submit a compliance report to the NGT. The Hon'ble NGT has also ordered that if the process of BMC formation and PBR preparation is not completed before the stipulated deadline, the State Governments shall pay a fine of Rs. 10 lakhs every month to the Central Pollution Control Board which can be used for environmental conservation. A copy of the Order of the NGT is enclosed as Annexure I.

As per the instructions of the Hon'ble NGT, the MoEF&CC and NBA had convened a review meeting on 30/09/2019 and 17/10/2019 at Delhi. A copy of the minutes is enclosed as Annexure II and

1/2


16

17

III. The monthly meeting in November 2019 would be held on 27-28<sup>th</sup> November, 2019 at Chennai for which the meeting notice has been sent to all the Chairman / Member Secretary of the SBBs.

As the responsibility to constitute the BMCs and complete the preparation of PBRs is with the State Governments, I request you to kindly conduct a monthly review at your end, so that the Order of the Hon'ble NGT can be complied within the stipulated deadline. You are requested to kindly furnish a report in this regard to the National Biodiversity Authority on or before 1st December 2019, to enable us to submit a compliance report to the Hon'ble NGT.

Yours faithfully,



(V. B. Mathur)

Encl: As above

To

Shri Sudhi Ranjan Mohanty, IAS  
Chief Secretary,  
Government of Madhya Pradesh  
MP Mantralaya, Vallabh  
Bhavan Bhopal - 462004



## **Process of People's Biodiversity Register (PBR)**

**(Digital and Dynamic PBR on the Basis of Secondary Data)**

**MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD  
26, Kisan Bhawan, 1st Floor, Arera Hills, Bhopal (M.P.) - 462011  
Telephone No: 0755 - 2554549 / 2554539 Fax: 0755 2764912  
E-mail: mpsbb@mp.gov.in**

**Process of People's Biodiversity Register (PBR)**  
(Digital and Dynamic PBR on the Basis of Secondary Data)

<b>INDEX</b>		
<b>S. No.</b>	<b>Particulars</b>	<b>Page No</b>
<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Background-</b>	<b>1-5</b>
2.1	Present Status of BMCs	
2.2	Present Status of Digital and Dynamic PBRs prepared	
2.3	PBR Formats	
2.4	Language of Formats	
2.5	Chapters	
2.6	Role of BMCs/ local body	
2.7	Role of MP State Biodiversity Board (MPSBB)	
<b>3</b>	<b>State level initiative-</b>	<b>6-8</b>
3.1	Constitution of PBR Monitoring and Quality evaluation committee-	
3.2	Special MPSBB Board Meeting for Digital and dynamic PBR-	
3.3	Official directions	
3.4	Video Conferencing (VC)	
3.5	Constitution of State level PBR Cell	
3.6	Technical Support from M.P. Council of Science & Technology Bhopal (MAPCOST)	
3.7	Technical Support from IT Cell of Department of Forest	
<b>4</b>	<b>Districts level initiative-</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Methodology ( Adopted at MPSBB level)</b>	<b>9-22</b>
5.1	Segregation of Chapters-	
5.2	Source of Data for General Information ( Part-1)	
5.3	Process for Data for General Information (Part -1)	
5.4	Source of Data for Biodiversity Specific information (Part-2 )	
5.5	Process for Biodiversity Specific information (Part-2 ) (Creation of Data Bank)	
5.6	Process for Biodiversity Specific information (Part-2 ) (Preparation of Master File)	
5.7	Merging of Part1 and Part2-	
<b>6</b>	<b>Special note for scope of updation</b>	<b>22-23</b>

## Process of People's Biodiversity Register (PBR) (Digital and Dynamic PBR on the Basis of Secondary Data)

### 1. Introduction-

The Hon'ble NGT has passed order in case 347/2016, dated 09.08.2019 and 18.03.2020 that every BMCs at Panchayat and Urban level have to prepare PBRs. In Madhya Pradesh the total no of BMCs are 23,557 at Panchayat and urban level. In compliance to this order of Hon'ble NGT and in Covid-19 scenario, the National Biodiversity Authority (NBA) has issued direction to SBB to prepare digital and dynamic PBR on the basis of secondary data (Annex-1 NBA Meeting). In this regard to prepare PBRs on the basis of secondary data, the MPSBB has taken approval in its 17<sup>th</sup> Board meeting of MPSBB. The MPSBB is providing technical support to all local bodies for preparation of PBRs.

The MPSBB has developed mechanism for collecting secondary data from different department, institutes, websites, old PBRs and local body sources and organised them in relevant format of PBRs in digital form. The MPSBB has communicated the collected secondary data information to local bodies as per their requirement.

The MPSBB has detailed the process of secondary data collection and organise them in relevant formats of PBRs of BMCs.

### 2. Background-

#### 2.1 Present Status of BMCs

S.No.	Local Body	Level	Total no of local bodies	No of BMCs Constituted *
1	Panchayat	Zila Panchayat	52	52
		Janpad Panchayat	313	313
		Gram Panchayat	22,814	22,814
		<b>Total</b>	<b>23,179</b>	<b>23,179</b>
2	Nagar Nikay	Nagar Nigam	16	16
		Nagar Palika	98	98
		Nagar Parishad	264	264
		<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Grand Total</b>			<b>23,557</b>	<b>23,557</b>

\* Note- As on date 100 percent BMCs are constituted

- 37
1. As per the amendment in MP Biological Diversity Rules, 2004- Rule 23 (2) total no of 13718 JFMC cum BMCs have been constituted at Gram Sabha level by Forest Department.
  2. As per order of Department of Urban Development, Govt of MP dated 8 June 2020 PIC of council (Chairmen of council) of Nagar Palika and Nagar Parishad and MIC (Mahapor of council) of Nagar Nigam are nominated for functioning of BMCs at all urban body level in the state. (**Annexure-1**)
  3. As per order of Department of Panchayat and Rural Development, Govt of MP dated 4 July 2020 all administrative committee (Where local body Panchayat dissolved) and Panchayat ( Panchayat level where BMCs have not constituted) have been ordered for performing BMCs responsibilities. (**Annexure-2**)

## 2.2 Present Status of Digital and Dynamic PBRs prepared -

S.No.	Local Body	Level	Total no of local bodies	Total no of PBR Prepared	
				No of PBRs Prepared (2008-2019)* (Hard copy)	No of digital and dynamic is prepared (Soft copy) (2020-2021)
1	Panchayat	Zila Panchayat	52	00	52
		Janpad Panchayat	313	00	313
		Gram Panchayat	22814	887	22814
		<b>Total</b>	<b>23,179</b>	<b>887</b>	<b>23,179</b>
2	Nagar Nikay	Nagar Nigam	16	00	16
		Nagar Palika	98	03	98
		Nagar Parishad	264	00	264
		<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>03</b>	<b>378</b>
<b>Grand Total</b>			<b>23,557</b>	<b>890</b>	<b>23,557</b>

\*Note- 890 PBR have been prepared (printed) during the year 2008-2019. Digital and dynamic base PBR have been prepared with secondary data. Secondary data received from line departments and local body. **As on date 100 percent Digital and dynamic PBRs are completed.**

## 2.3 PBR Formats -

The National Biodiversity Authority (NBA) Chennai in has developed PBR formats. The MPSBB has rationalized the formats further to document practical and precise data on biodiversity.

#### 2.4 Language of Formats-

Bilingual PBR formats were developed in Hindi and English.

**2.5 Chapters-** All the formats have been classified in to 7 chapters as shown below-

Chapter No	Name of Chapter
1.	General Information
2.	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil
3.	Forest Biodiversity
4.	Agro Biodiversity
5.	Aquatic Biodiversity
6.	Traditional Knowledge
7.	Access Benefit Sharing (ABS)

**Chapter wise details are shown in the following table below –**

Chapter	Title	Details
1	General Information	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biodiversity Management Committee (BMC) of Gram panchayat</li> <li>2. Traditional Healers &amp; Practitioners</li> <li>3. Details of individuals, schools, colleges, universities and government institutions, involved in the preparation of the PBR</li> </ol>
2	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil	People , Land, Water body and Soil details
3	Forest Biodiversity	<p><b>Wild flora-</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trees, Shrubs, Herbs, Tubers, Grasses, Climbers,</li> <li>2. Plants of Medicinal Importance,</li> <li>3. Plant Species (Non Timber) of Importance of Economics, Social, Cultural and Health</li> <li>4. Timber Plants</li> </ol> <p><b>Wild fauna-</b></p>

Chapter	Title	Details
4	Agro Biodiversity	<b>Agriculture Sector-</b> 1. Crop plants- Rabi (October-Feb), Kharif (July-September), Zaid (March-June) 2. Fodder Crops/species, Rabi (October-Feb), Kharif (July-September), Zaid (March-June) 3. Crop Weeds 4. Wild relative of Crops 5. Pests of Crops 6. Organic Farming
	Agro Biodiversity	<b>Horticulture Sector-</b> 1. Fruit Plants, 2. Vegetable plants, 3. Floriculture, 4. Ornamental Plants, Trees, Climbers and others, 5. Cultivated Medicinal Plants (Herbs, Shrubs, Trees and others ) 6. Cultivated Timber Plants
	Agro Biodiversity	<b>Animal Husbandry</b> 1. Domesticated Animals (cattle, buffalo, sheep, goat) 2. Domesticated Birds (poultry)
		<b>Markets ( Agriculture Crops, Horticulture crop, Medicinal Plants, Domesticated Animals and other products)</b>
5	Aquatic Biodiversity	<b>Aquatic Fauna</b> 1. Culture Fisheries(Domesticated) 2. Wild Fisheries 3. Wild Aquatic Fauna (Other than Fishes) <b>Aquatic Flora</b> 4. Cultivated aquatic flora 5. Wild aquatic flora
6	Traditional Knowledge	1. Traditional knowledge related to Forest Biodiversity, 2. Traditional knowledge related to Agro-biodiversity,

Chapter	Title	Details
		3. Traditional knowledge related to Aquatic Biodiversity
7	Access Benefit Sharing (ABS)	1. <b>Details of Tradable Biological Resources</b> available (Quantitative/ value / Market status) 2. <b>Details of Access to Benefit Sharing from Biological Resources and Traditional knowledge</b> (Granted permission, details of the collection fee imposed, and ABS amount received, mode of their sharing)

**2.6 Role of BMCs/ local body -**

2.6.1 MPSBB helped all Rural and Urban local body level BMCs to collecte secondary data, collate it to fit in to PBRs formats and Digital and Dynamic PBRs were made (In soft copy). The secondary data have been collected from head quarter (Bhopal) districts and janpad level line department offices.

**2.7 Role of MP State Biodiversity Board (MPSBB)-**

- 2.7.1 The Madhya Pradesh State Biodiversity Board have provided technical support to all BMCs for collection and compilation of the secondary data.
- 2.7.2 The MPSBB has also collected secondary data from all through biodiversity cell within the line departments; biodiversity related websites GOI and Govt of MP, compiled them in PBR formats and all data were provided to BMCs.
- 2.7.3 After consultation with BMCs, the final soft copies of all PBRs have been stored at MPSBB.

### 3. State level initiative-

#### 3.1 Constitution of PBR Monitoring and Quality evaluation committees-

3.1.1 **State level Committee-** State level PBR monitoring and quality evaluation committee has been constituted under the chairmanship of Chief Secretary, Govt. of MP. (Annexure-3)

3.1.2 **State level Sub Committee-** State level PBR monitoring and quality evaluation Sub-committee has been constituted under the chairmanship of Member Secretary MPSBB. (Annexure-4)

3.1.3 **MPSBB Level Screening Committee-** Board level PBR monitoring and quality evaluation screening committee has been constituted under the chairmanship of Assistant Member Secretary(C&D) MPSBB with subject experts (Annexure-5)

**Note-** NBA Level Committee- NBA level PBR monitoring and quality evaluation committee has been constituted by National Biodiversity Authority, Chennai (TN) under the chairmanship of Dr. S.K. Khanduri, Ex-PCCF, and Kerala.- (Constitution of Monitoring Committee for overseeing the quality of PBRs by evolving a suitable mechanism-regarding). (Annexure-6)

#### 3.2 Special MPSBB Board Meeting for Digital and dynamic PBR-

A special Board meeting of MPSBB (17<sup>th</sup> Board Meeting) was organised on 2<sup>nd</sup> June 2020 under the chairmanship of chief secretary, Government of Madhya Pradesh for needed approvals for preparation of digital and dynamic PBR by using available secondary data.

#### 3.3 Official directions-

3.3.1 The Principal Secretary of forest department has issued instructions to all line departments to generate secondary

digital database in prescribed PBR format and make available to MPSBB in soft copy. ( **Annexure-7**)

3.3.2 The MPSBB has communicated to all districts collectors, CEO Zila panchayat, DFOs, and all district level offices of line department to compile and send secondary data of every local body in prescribed PBR format ( **Annexure-8**)

### **3.4 Video Conferencing (VC)-**

3.4.1 **Forest Department VC-** First State level Video conferencing was organised on 19 Jun 2020 by Forest department for collecting secondary data of forest area of local body.

3.4.2 **Forest Department VC-** Second State level Video conferencing was organised on 9 July 2020 by MPSBB through NIC Centre for collecting secondary data of forest area of local body.

3.4.3 **Panchayat Department VC-** State level Video conferencing was organised on 16 July 2020 by Department of Panchayat and Rural Development through NIC Centre for preparation of digital and dyanamic PBR at Panchayat level (CEO-Zila Panchayat)

### **3.5 Constitution of State level PBR Cell-**

The state level PBR preparation cell has been constituted at MPSBB, Bhopal (**Annex-9**). The function of the cell is to provide technical support to local body at Janpad and districts level for preparation of digital and dynamic PBRs. MPSBB has nominated Dr. Bakul Lad, Assistant Member Secretary C&D of Board to work as State coordinator for PBRs.

The 5 Technical Experts (TE) PBR with the background of Biodiversity related subjects, 1 NBA appointed UNDP intern and 1 Technical Experts for data Management are part of the PBR cell of MPSBB.

### 3.5.1 Composition of State level PBR Cell-

1. Shri R. Sreenivasa Murthy, Member Secretary MPSBB –(Patron)
2. Dr Bakul Lad, Asst. Member Secretary MPSBB,  
( State PBR coordinator)
3. Dr. Elizabeth Thomas, Asst. Member Secretary MPSBB,  
(Asst. PBR State coordinator)
4. Dr Kunika Silodiya, TE-PBR, MPSBB
5. Dr Gaurav Singh, TE-PBR, MPSBB
6. Shri. Prakhar Gupta ,TE-PBR, MPSBB
7. Vijesh Haryale, TE-PBR, MPSBB
8. Prakesh Mehta, TE-PBR, MPSBB (Process coordinator)
9. Pankaj Shubam, UNDP-NBA Intern
10. Piyush Jadam, Data Management TE- PBR

### 3.6 Technical Support from M.P. Council of Science & Technology Bhopal (MAPCOST)

- 3.6.1 **GIS based digital map for Panchayat-** The GIS based digital maps have been prepared for all 313 Janpad level covering all districts with the layers of Panchayat boundary, forest cover, water body, drainage and road.
- 3.6.2 **GIS based digital map for Urban Local Body (ULB)-** The GIS based digital maps have been prepared for all 378 urban local body level covering all districts with the layers of Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Parishad boundary, forest cover, water body, drainage and road.

### 3.7 Technical Support from IT Cell of Department of Forest -

- 3.7.1 The GIS based digital maps of forest division > range> beat> compartment with forest cover area and water body received from IT Cell of forest department. These maps were used to identify the forest cover and water body under the BMCs area.

4. Districts level initiative-

District level Nodal officers for PBR –

Chief executive officers of Zila Panchayat and Chief executive officers of Nagar Nigam/ Nagar Palika has been nominated as districts level nodal officers for Panchayat and Urban sector respectively for PBR preparation. (Order of Principal Secretary, forest department, Govt of MP- Annexure-7)

5. Methodology ( Adopted at MPSBB level) –

5.1 Segregation of Chapters-

PBR does have seven chapters which is further divided in to two parts-

Chapter No	Name of Chapter	Chapters Segregated for Secondary data collection
1.	General Information	Part-1 General information
2.	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil	
3.	Forest Biodiversity	Part-2 Biodiversity- Sector specific information.
4.	Agro Biodiversity	
5.	Aquatic Biodiversity	
6.	Traditional Knowledge	
7.	Access Benefit Sharing (ABS)	

Data necessary for completing Part-01 and Part-02 of the PBR register was collected separately.

5.2 Source of Data for General Information ( Part-1)

5.2.1 National Population Register (NPR) 2011 Census Data (Census code-2011)

The secondary data have been collected for local bodies list with district, Block and village name from local government directory along with following Gram Panchayat, district, Tehsil, Block specific information .

- i. Geographical area (Hact./ Sq Km)

- ii. Total House holds
- iii. Total population,
- iv. Total population of male and female,
- v. Water resources (status) Well, handpumps, tubewell/  
borewell, Spring, River/ Canal, Pond/ lake/tank
- vi. Nine fold Land classification (Hectares) - forest area, area under non agriculture uses, baren and uncultucable land area, permanant pasture and other grazing land area, land under miscelaneous tree crops etc area culturable waste land area, fallows land other than current fallows area,current fallows area and net area sown
- vii. District wise Climatic Data- Rainfall, Max temp and Min temp.

**5.2.2 Department Farmers Welfare and Agriculture Development Govt of MP - Soil type- Categories and Districts**

S.NO.	Type of soil	No. of district	Name of Districts
1.	<b>Shallow and Medium black soil</b>	3	Betul, Chhindwara and Seoni
2.	<b>Deep medium black soil</b>	37	Narsinghpur, Hoshangabad, Harda, Shahdol, Umaria, Jabalpur, Katni, Sagar, Damoh, Vidisha, Raisen, Bhopal, Sehore, Rajgarh, Ujjain, Dewas, Shajapur, Mandsour, Neemuch, Ratlam, Jhabua, Aleerajpur, Dhar, Indore, Khargone, Barwani, Khandwa, Guna (Partily) & Sidhi (Partly), Anuppur, Ashoknagar, Burhanpur shivpuri (Partly) Datiya (Partly) Singrolee
3.	<b>Alluvial Soil</b>	4	Gwalior, Morena, Sheopurkala, Bhind & Shivpuri (Partly)
4	<b>Mixed Red &amp; Black soil</b>	8	Mandla, Dindori, Balaghat, Rewa, Satna, Panna, Chhatarplur, Tikamgarh, Shivpuri (Partly) Guna (Partly & sidhi (Partly)

5.2.3 **M.P. Council of Science & Technology Bhopal (MAPCOST)-** GPS coordinates (latitude and longitude) of local bodies collected from MPCOST data.

5.2.4 **Janpad level PBR Project-** Name of colleges and schools participated in preparation of PBR

**5.3 Process for Data for General Information (Part -1)**

5.3.1 **Classify local body of Panchayat-** The data of local body were classified in to Zila Panchayat, Janpad Panchayat and Gram Panchayat, and data of urban local body were classified in to Nagar Nigam, Nagar Palika and Nagar Parishad.

5.3.2 **Generation of Unique ID –** Every local body have been assigned a Unique ID to facilitate easy database management.

5.3.3 **Preparation of Database-** Common database in excel sheet was prepared by using data collected from various sources and same was arranged as per PBRs requirement. (NPR Data, Soil type, Demography, Population etc)

**5.4 Source of Data for Biodiversity Specific information (Part-2 )**

**5.4.1 Information from line department-**

The districts offices of line department have provided secondary data to MPSBB.

a) **Forest working Plan-** The secondary data of forest biodiversity has been collected from the office of PCCF working plan, forest department.

b) **Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Aquatic Data-** Secondary data agro-biodiversity (agriculture and animal Husbandry)/ aquatic biodiversity is collected from the respective line departments.

c) **Secondary data from the PBR project at Janpad level-**

The school and Colleges are preparing the PBRs at Janpad Panchayat level with the financial support of MPSBB. The secondary data of these PBR have been used in preparation of digital and dynamic PBRs

**5.4.2 Department's Official Website-** Secondary data were collected from official websites of the concerned line departments.

S.No.	Central/ State Sector	Name of Department	Website address for secondary data collection
1	Central Government Departments website	Office of the Registrar General & Census	<a href="https://censusindia.gov.in/2011-common/introductiontonpr.html">https://censusindia.gov.in/2011-common/introductiontonpr.html</a>
		Department of Agriculture, Cooperation & Farmers welfare	Soil Type Categories and Districts <a href="http://www.mpkrishi.org/krishinet/Compendium/Basic_soiltypecategories.asp">http://www.mpkrishi.org/krishinet/Compendium/Basic_soiltypecategories.asp</a>
1	State Government Department- Biodiversity Cell	Forest Department working plan data	Online Working Plan data form website <a href="https://mpforest.gov.in/">https://mpforest.gov.in/</a>
		Department of Agriculture (Kisan kalyan and krishi Vikas Vibhag)	1. Online statistics of agriculture of MP data from website <a href="http://mpkrishi.mp.gov.in/">http://mpkrishi.mp.gov.in/</a> <a href="http://agricoop.nic.in/agriculturecontingency/madhya-pradesh">http://agricoop.nic.in/agriculturecontingency/madhya-pradesh</a> 2. Agroclimatic Zone of Madhya Pradeh <a href="http://remote-sensingandgis.blogspot.com/2010/09/agroclimatic-zones-of-madhya-pradesh.html">http://remote-sensingandgis.blogspot.com/2010/09/agroclimatic-zones-of-madhya-pradesh.html</a>
		Department of Animal Husbandry	Online statistics of animal husbandry from website <a href="http://www.mpdah.gov.in/">http://www.mpdah.gov.in/</a>
		Department of Horticulture & Food Processing	Online statistics of horticulture website <a href="http://mphorticulture.gov.in/">http://mphorticulture.gov.in/</a>
		Fisherman Welfare & Fisheries Department	Online statistics of fishery department website <a href="http://www.mpfisheries.gov.in/">http://www.mpfisheries.gov.in/</a>
	Water Resources Department (WRD)	River Basin	Online Statistics of River Basin <a href="http://geoportal.mp.gov.in/wrd/home.aspx">http://geoportal.mp.gov.in/wrd/home.aspx</a>


**5.4.3 Data from Old PBRs-** Total no of 890 PBRs were prepared between the years 2008-2019 by MPSBB. The agriculture, horticulture and fishery sector data available in previously prepared PBRs was used.

### 5.5 Process for Biodiversity Specific information (Part-2 ) (Creation of Data Bank)

Districts wise and Sector wise secondary data bank is prepared.

### 5.6 Process for Biodiversity Specific information (Part-2 ) (Preparation of Master File)

5.6.1 Eco-region based districts clusters- Eco-region is defined by using a range of parameters including landforms, geomorphology, biogeography, vegetation and the cultural context of the area. These attributes could provide a distinct identity to the region. In context of Madhya Pradesh six eco-regions have been identified using the criteria listed above. The secondary data of PBR were classified according to the districts of eco-region.




Eco-region based districts clusters

## List of Districts according to Eco-region

S.No.	Ecoregion	S.No.	Disticts
1	2	3	4
1	Satpura	1	Jabalpur
		2	Katni
		3	Narsinghpur
		4	Chhindwara
		5	Seoni
		6	Mandla
		7	Balaghat
		8	Hoshangabad
		9	Betul
		10	Harda
		11	Khandwa
		12	Khargone
		13	Burhanpur
		14	Barwani
2	Malwa	15	Indore
		16	Dhar
		17	Jhabua
		18	Alirajpur
		19	Ujjain
		20	Dewas
		21	Ratlam
		22	Shajapur
		23	Agar-Malwa
		24	Mandsore
		25	Neemuch
		26	Rajgarh
3	Central	27	Bhopal
		28	Sihor
		29	Raisen
		30	Vidisha
		31	Sagar
		32	Damoh
4	Bundelkhan	33	Tikamgarh
		34	Niwari
		35	Panna
		36	Chhatarpur
5	Chambal	37	Bhind
		38	Morena


S.No.	Ecoregion	S.No.	Disticts
1	2	3	4
		39	Sheopur
		40	Gwalior
		41	Shivpuri
		42	Ashoknagar
		43	Guna
		44	Datia
6	Vindhya	45	Rewa
		46	Sidhi
		47	Satna
		48	Singrouli
		49	Shahdol
		50	Anuppur
		51	Dindori
		52	Umariya

5.6.2 **Agro-climatic zone based districts clusters-** Segregation of districts level Local bodies according to agro-climatic zone- The State is divided in 11 Agro-climatic regions and 5 crop zones




Agro-climatic zone of MP- Districts wise

5.6.3 **River Basin based districts clusters-** Districts are divided according to 11 river basin - Betwa, Chambal, Dhasan, Ken, Mahi, Narmada, Sindh, Son, Tapti, Tons, Wainganga ( Source- Water Resources Information & Management System (WRIMS) Water Resources Department Government of Madhya Pradesh)



River Basin of MP- Districts wise


5.6.4 **Soil type based districts clusters** - Districts are divided according to four soil type- Shallow and Medium black soil , Deep medium black soil , Alluvial Soil , Mixed Red & Black soil Red and Black,



Soil type of MP- Districts wise


5.6.5 **Use of Google Earth Map-** Satellite images were used to identify habitat estimation (Grass land, forest land, aquatic habitat- water bodies etc). After locating local body on google earth map, identification of habitat types of local

body were done and the related required data of habitat types were collected from sources of line department.



Satellite Image overlapping with district boundry

### 5.6.6 Combination of similar clusters of districts



Combination of similar clusters of districts

Group No.	Master file of District Cluster	No	Name of Districts (52)	Agroclimatic zone (11)	River Basin (11)	Type of Soil (4)
1	Sidhi	1	Sidhi	Kymore Plateau & Satpura Hills	Sone	Mixed Red & Black soil
		2	Singrouli	Kymore Plateau & Satpura Hills	Sone & Tons	Mixed Red & Black soil
2	Satna	3	Satna	Kymore Plateau & Satpura Hills	Sone, Tons & Ken	Mixed Red & Black soil
		4	Rewa	Kymore Plateau & Satpura Hills	Tons	Mixed Red & Black soil
		5	Panna	Kymore Plateau & Satpura Hills	Tons & Ken	Mixed Red & Black soil
		6	Katni	Kymore Plateau & Satpura Hills	Sone, Narmada & Ken	Deep medium black soil
3	Shahdol	7	Anuppur	Northern Hill Region of Chhattisgarh	Sone & Narmada	Mixed Red & Black soil
		8	Shahdol	Northern Hill Region of Chhattisgarh	Sone	Mixed Red & Black soil
		9	Umariya	Northern Hill Region of Chhattisgarh	Sone	Mixed Red & Black soil
4	Betul	10	Betul	Satpura Plateau	Wainganga, Narmada & Tapi	Shallow and Medium black soil
		11	Chhindwara	Satpura Plateau	Wainganga & Narmada	Shallow and Medium black soil
5	Dindori	12	Dindori	Northern Hill Region of Chhattisgarh	Sone & Narmada	Mixed Red & Black soil
		13	Mandla	Northern Hill Region of Chhattisgarh	Sone, Narmada & Wainganga	Mixed Red & Black soil
6	Seoni	14	Seoni	Kymore Plateau & Satpura Hills	Narmada & Wainganga	Shallow and Medium black soil
		15	Jabalpur	Kymore Plateau & Satpura Hills	Narmada & Sone	Deep medium black soil
7	Neemuch	16	Neemuch	Malwa Plateau	Chambal	Deep medium black soil
		17	Mandsore	Malwa Plateau	Chambal	Deep medium black soil


Group No.	Master file of District Cluster	No	Name of Districts (52)	Agroclimatic zone (11)	River Basin (11)	Type of Soil (4)
8	Rajgarh	18	Agar malwa	Malwa Plateau	Chambal	Deep medium black soil
		19	Rajgarh	Malwa Plateau	Chambal & Mahi	Deep medium black soil
9	Shajapur	20	Shajapur	Malwa Plateau	Chambal	Deep medium black soil
		21	Ujjain	Malwa Plateau	Chambal	Deep medium black soil
10	Ashoknagar	22	Ashoknagar	Gird Region	Sindh & Betwa	Deep medium black soil
		23	Guna	Gird Region	Sindh & Chambal	Deep medium black soil
11	Gwalior	24	Gwalior	Gird Region	Sindh	Alluvial Soil
		25	Bhind	Gird Region	Sindh & Chambal	Alluvial Soil
		26	Morena	Gird Region	Sindh & Chambal	Alluvial Soil
		27	Datia	Bundelkhand	Sindh	Alluvial Soil
		28	Tikamgarh	Bundelkhand	Betwa & Dhasan	Mixed Red & Black soil
12	Chhatarpur	29	Chhatarpur	Bundelkhand	Ken & Dhasan	Mixed Red & Black soil
		30	Niwari	Bundelkhand	Betwa	Deep medium black soil
13	Raisen	31	Damoh	Vindhya Plateau	Ken & Narmada	Deep medium black soil
		32	Raisen	Vindhya Plateau	Betwa & Narmada	Deep medium black soil
		33	Sagar	Vindhya Plateau	Betwa, Narmada, Dhasan, Ken	Deep medium black soil
		34	Vidisha	Vindhya Plateau	Betwa, Chambal & Sindh	Deep medium black soil
		35	Bhopal	Vindhya Plateau	Betwa & Chambal	Deep medium black soil
		36	Sihore	Vindhya Plateau	Betwa, Narmada & Chambal	Deep medium black soil
14	Alirajpur	37	Alirajpur	Jhabua Hills	Mahi & Narmada	Deep medium black soil
		38	Jhabua	Jhabua Hills	Mahi	Deep medium black soil
15	Hoshangabad	39	Harda	Central Narmada Valley	Narmada	Deep medium black soil
		40	Narsinghpur	Central Narmada Valley	Narmada & Ken	Deep medium black soil

Group No.	Master file of District Cluster	No	Name of Districts (52)	Agroclimatic zone (11)	River Basin (11)	Type of Soil (4)
		41	Hoshangabad	Central Narmada Valley	Narmada	Deep medium black soil
16	Indore	42	Indore	Malwa Plateau	Narmada & Chambal	Deep medium black soil
		43	Dewas	Malwa Plateau	Narmada & Chambal	Deep medium black soil
17	Balaghat	44	Balaghat	Chhattisgarh plains	Wainganga & Narmada	Mixed Red & Black soil
18	Khargone	45	Khargone	Nimar Plains	Narmada & Tapi	Deep medium black soil
		46	Khandwa	Nimar Plains	Narmada & Tapi	Deep medium black soil
		47	Barwani	Nimar Plains	Narmada & Tapi	Deep medium black soil
		48	Burhanpur	Nimar Plains	Narmada & Tapi	Deep medium black soil
19	Dhar	49	Dhar	Malwa Plateau	Chambal, Mahi & Narmada	Deep medium black soil
		50	Ratlam	Malwa Plateau	Chambal & Mahi	Deep medium black soil
20	Sheopur	51	Sheopur	Gird Region	Chambal & Sindh	Alluvial Soil
		52	Shivpuri	Gird Region	Chambal & Sindh	Alluvial Soil

**5.6.7 Sets of combination at local body clusters -** After preparation of districts master file the data were further isolated as per the following sets of combination-

1. Local body has only agriculture biodiversity
2. Local body has agriculture and forest biodiversity
3. Local body has agriculture and aquatic biodiversity
4. Local body has agriculture, forest and aquatic biodiversity

The Panchayat level data were isolated according to the combination available in the local body.



Sets of combination at Local body

5.6.8 Final preparation of PBR Master file-

The master file of PBR is prepared on the basis of districts which were classified on the basis of agroclimatic zone, river basin; soil type and habitat identified. The sector wise data were collected in the PBR fomats as per the following chapters-

Chapter No	Name of Chapter	Source of Secondary data collection
<b>Part-1 General information</b>		
1	General Information	1. National Population Register (NPR) 2011 Census Data (Census code-2011) 2. Department Farmers Welfare and Agriculture Development Govt of MP- Soil type 3. M.P. Council of Science & Technology Bhopal (MAPCOST)- GPS coordinates
2	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil	
<b>Part-2 Sector specific information.</b>		
3	Forest Biodiversity	Working plan data were used.
4	Agro Biodiversity	Districts wise segregated agro climatic zone data and soil type

Chapter No	Name of Chapter	Source of Secondary data collection
		used.
5	Aquatic Biodiversity	Districts wise segregated River basin data (Aquatic species details) used
6	Traditional Knowledge	No data is available.
7	Access Benefit Sharing (ABS)	The Bio-resource and trade information data available at MPSBB was used.

### 5.7 Merging of Part1 and Part 2-

5.7.1 The part-1 file is prepared for the particular BMCs. The part-2 file of the same BMC is prepared with the replication of master file of the district. In addition to this, in part-2 file the specific data related to particular BMCs were also used.

5.7.2 The file of Part-1 of BMC is merged with Part-2 of the BMC by using same unique ID

### 6. Special note on scope of updation

6.1 In light of the Hon'ble NGT order dated 09.08.2020 and 18.03.2020, the MPSBB has adopted above procedure to prepare PBRs expeditiously.

6.2 All PBRs are in digital & dynamic form and are in the process of continuous updating.

6.3 As of today, we can claim that we have been able to capture most of the available secondary data regarding flora, fauna, domesticated crops and animals and even aquatic flora & fauna of every Gram Panchayat and Urban Bodies.

- 6.4 The only issue regarding this methodology is that there was no interaction with the general public to make data authentic.
- 6.5 Secondary data regarding traditional knowledge associate with bio-resources/ biodiversity could not be collected.
- 6.6 Retrofitting of PBR– The digital and dynamic PBR <sup>has been</sup> ~~will be~~ sent to concerned BMC and TSG of the districts to update and validate the compiled information.
- 6.7 The incorporation of primary data in PBR will be done by BMCs in the future.

  
(R. Sreenivasa Murthy)  
Member Secretary  
Madhya State Biodiversity Board  
Bhopal (M.P.)

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

43

भोपाल, दिनांक 06 जून 2020  
8

// आदेश //

कमांक-1281/1746/2019/18-2 : देश की प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित वंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति ( Biodiversity Managment Committee) का गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 23 (1) के अनुसार स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तक राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 (2) के अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद की पी.आई.सी. (अध्यक्षीय परिषद) तथा नगर निगम की एम.आई.सी. (महापौर परिषद) को जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्य करने के लिए नामांकित करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Amith*  
(डॉ. अमिताभ अवस्थी) 08/06/2020  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्र. 1282/1746/2019/18-2  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 06 जून 2020  
8

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, 26 प्रथम तल किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश, नगर पालिक निगम/नगर पालिका /नगर पालिका परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*Amith*  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

प्र. राज्य जैवविविधता बो.  
आ -...AMS... (6.2.10)  
एल -...  
ईश -...  
सदस्य सचिव

62052

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
एल्लारा रोड, भोपाल-462004

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28 मई, 2020

कमांक एफ 19-31/2020/1/4 :: याननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 347/2016 श्री चन्द्रमाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 की सतत समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश	सदस्य
6	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य सचिव

2/ उक्त समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत Biodiversity Management Committees (BMC) का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framework का उपयोग कर लोक जैव विविधता पंजी (PBRs) के निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परिक्षण करना और राष्ट्रीय स्तर पर उक्त कार्य हेतु बनी समिति को सहयोग करना रहेगा।

3/ समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
( डी. के. नागेंद्र ) 29/5/2020  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

प. कमांक एफ 16-31/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2020

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
  5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



( डी. के. नागेंद्र ) 29/5/2020  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24/06/2020

क्रमांक आर 704/2542/2019/10-2 :: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक/347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09-08-2019 व 18-03-2020 की सतत समीक्षा हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-31/2020/1/4 दिनांक 29-05-2020 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का गठन किया गया है।

2/ राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02-06-2020 में लिये गये निर्णय अनुसार लोक जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता को समय-समय पर अनुश्रवण कर वाच्छित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार उप समिति का गठन किया जाता है:-

- |   |             |
|---|-------------|
| 1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड             | - अध्यक्ष   |
| 2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का प्रतिनिधि      | - सदस्य     |
| 3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रतिनिधि     | - सदस्य     |
| 4. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का प्रतिनिधि | - सदस्य     |
| 5. संचालक, पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि                         | - सदस्य     |
| 6. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का प्रतिनिधि    | - सदस्य     |
| 7. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि        | - सदस्य     |
| 8. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का प्रतिनिधि            | - सदस्य     |
| 9. सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड       | -सदस्य सचिव |
- 3/ उप समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framwork का उपयोग कर प्रदेश में लोक जैव विविधता पंजी निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परीक्षण करना और उक्त कार्य में राज्य स्तरीय समिति का सहयोग करना है।

4/ उप समिति के अध्यक्ष समय-समय पर बैठक आहूत करेंगे। कंडिका-2 में उल्लेखित कार्यों के पूर्ण होने तक समिति कार्य करेगी। समिति अपना प्रतिवेदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

22/6/2020  
(अतुल कुमार मिश्रा)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक आर 705 /2542/2019/10-2

भोपाल, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. आयुक्त/संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अरेरा हिल्स, भोपाल
7. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पालिक भवन, 6 नम्बर, भोपाल
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल
9. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल
10. संचालक, पशुपालन विभाग, कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल
11. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, भदभदा रोड़, भोपाल
- ✓ 12. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, किसान भवन, भोपाल
13. सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/6/2020  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



MADHYA PRADESH

मध्य प्रदेश

ANNEXURE  
BIODIVERSITY BOARD

विविधता बोर्ड

48

(Statutory, Autonomous and Regulatory Body of Govt. of M. P. | म. प्र. शासन की वैधानिक, स्वायत्त एवं नियामक संस्था)

क्र. / जैविबो / सहा.स.स. (सी.एण्ड.डी) / PBR-39 / 2020-21 / 1883 भोपाल दिनांक 18.06.2020

// आदेश //

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में प्रदेश में स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर सेकण्डरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक जैवविविधता पंजी की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है। इस हेतु प्रदेश स्तर पर समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति तथा राज्य स्तरीय उप समिति का गठन किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में लोक जैवविविधता पंजी में निर्धारित प्रपत्र में संकलित सेकण्डरी डाटा का तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना है। इस उद्देश्य से बोर्ड स्तर पर निम्न विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति का गठन किया जाता है-

क्र.	विशेषज्ञ का नाम	पदनाम	
1.	डॉ. बकुल लाड	सहायक सदस्य सचिव, सी.एण्ड.डी मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल	अध्यक्ष
2.	डॉ. सुदेश बाघमारे	(से.नि.) उप वन संरक्षक भोपाल	सदस्य
3.	डॉ. विपिन व्यास	एसोसियेट प्रो. बायोंसाइन्स विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल	सदस्य
4.	डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना	सहा. प्राध्यापक, चित्रांश ए.डी.पी.जी. कॉलेज भोपाल	सदस्य
5.	डॉ. माधुरी मोडक	(से.नि.) प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) भोपाल	सदस्य
6.	डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र	वैज्ञानिक -बी, सेन्ट्रल जोन रिजनल सेन्टर जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इण्डिया	सदस्य
7.	मो. खालिक खॉन	अध्यक्ष, भोपाल बर्ड्स भोपाल	सदस्य
8.	डॉ. संगीता राजगीर	सदस्य सचिव, भोपाल बर्ड्स भोपाल	सदस्य
9.	श्री प्रकश मेहता	तकनीकी विशेषज्ञ, पी.बी.आर, उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड) (मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपस्थिति उपरांत)	सदस्य
10.	श्री सुभम पंकज	यू.एन.डी.पी. इन्टर्न मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल	सदस्य सचिव

लोक जैवविविधता पंजी का तकनीकी रूप से गुणवत्ता का परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा सदस्यों को लोक जैवविविधता पंजी की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराई जायेगी। सभी सदस्यों को पात्रतानुसार बैठक में सम्मिलित होने हेतु वास्तविक यात्रा प्रतिपूर्ति व मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

  
(आर.श्रीनिवास मूर्ति)  
सदस्य सचिव

69


मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 04.06.2020<sup>07</sup>

क्रमांक 367 / पं.रा. / एफ-1- / 2020 जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना प्रावधानित है। इसी परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि ऐसी पंचायत जहां पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका, वहां प्रशासकीय समिति जैवविविधता प्रबंधन समिति के रूप में तब तक कार्य करेगी जब तक कि पंचायत का गठन नहीं हो जाता। जो पंचायतें वर्तमान में अस्तित्व में हैं किन्तु अपने स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर सकी हैं, वे पंचायतें तत्काल प्रभाव से अंतर्निर्मित रूप से जैवविविधता प्रबंधन समिति के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेंगी जब तक कि विधिवत संपूर्ण जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर लेती।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस.आर.चौधरी)  
उप सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 04.06.2020<sup>07</sup>

पृ0क्रमांक 368 / पं.रा. / एफ-1- / 2020  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल।
  2. सदस्य सचिव, म.प्र.राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
  3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
  4. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
  5. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र.।
  6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, म.प्र.।
  7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
उप सचिव  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश, भोपाल



मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 06 जून 2020  
४

// आदेश //

क्रमांक-1281/1746/2019/18-2 : देश की प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति ( Biodiversity Management Committee) का गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 23 (1) के अनुसार स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तक राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 (2) के अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद की पी.आई.सी. (अध्यक्षीय परिषद) तथा नगर निगम की एम.आई.सी. (महापौर परिषद) को जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्य करने के लिए नामांकित करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Amith*  
(डॉ. अमिताभ अवस्थी) 08/06/2020  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्र. 1282/1746/2019/18-2  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 06 जून 2020  
४

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, 26 प्रथम तल किसान भवन, अरेश हिल्स भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश, नगर पालिक निगम/नगर पालिका /नगर पालिका परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*BMC*  
*Ushou*  
*R*

म. प्र. राज्य जैवविविधता बो.  
शाखा -...AMS... (C.B.D.)  
टी.एल. ....  
निर्देश -.....

सदस्य सचिव

*Amith*  
उप सचिव 08/06/2020  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3.6.2020



सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति की अध्यक्षता में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु राज्य स्तरीय **People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring** उप समिति की बैठक

बैठक दिनांक 17/07/2020 (अपरान्ह : 3.30 बजे)

कार्यवाही विवरण

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के सभा कक्षा में दिनांक 17/07/2020 को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु बोर्ड स्तर पर गठित **राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति** की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुए—

1. श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल।
2. श्री एच.सी. गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं विस्तार, भोपाल।  
(प्रतिनिधि— प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, भोपाल)
3. श्री आर.पी. गोयल, उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।  
(प्रतिनिधि— संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विध्यांचल भवन भोपाल)
4. श्री एस.एस. तोमर आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, भोपाल।  
( प्रतिनिधि— आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, विध्यांचल भवन भोपाल)
5. डॉ. अजय रामटेके, उप संचालक संचालक, पशुपालन विभाग, भोपाल।  
( प्रतिनिधि— संचालक, पशुपालन विभाग, कामधेनु भवन वैशाली नगर भोपाल)
6. भरत सिंह उप संचालक, संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, भोपाल।  
( प्रतिनिधि— संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, भदभदा रोड, भोपाल)
7. सुभाष शर्मा आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल।  
( प्रतिनिधि— आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल )
8. नीरज श्रीवास्तव आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, भोपाल।  
(प्रतिनिधि— आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पालिका भवन, 6 नम्बर, भोपाल)
9. डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी एण्ड डी) म.प्र. जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
10. डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव (बॉयो) म.प्र. जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
11. डॉ. कुनिका सिलोदिया, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
12. डॉ. गौरव सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।

52

13. श्री प्रखर गुप्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
14. श्री विजेश हरियाले, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
15. श्री प्रकाश मेहता, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
16. कुमारी निशिता गोलचा, तकनीकी विशेषज्ञ (विधि) मध्यप्रदेश जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
17. श्री पियूष जाधम, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।

बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों के परिचय के साथ बैठक कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है—

1. बैठक के प्रारंभ में डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी एण्ड डी), म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा बैठक में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के वैधानिक प्रावधान एवं पंजी निर्माण में जैवविविधता प्रबंधन समिति की भूमिका के संबंध में समिति सदस्यों को निम्नानुसार अवगत कराया गया।
  - 1.1 जैवविविधता नियम, 2004 (केंद्र) नियम 22 (6) अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी तैयार किया जाना प्रावधानित है। पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी सम्मिलित होती है। नियम 22 (8) –लोक जैव विविधता पंजी के प्रपत्रों में Digital and Dynamic इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तैयार किया गया है। इसके साथ ही नियम 22 (10) –जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी संधारित (Maintained) किया जायेगा और उसे विधिमान्य (Validated) किया जायेगा।
  - 1.2 मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 नियम 23 (9) जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण प्रावधानित है।
  - 1.3 बैठक में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की भूमिका के संबंध में अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 23 (12) के प्रावधानों के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति

को लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण में मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना है।

2. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन कार्य किया गया है। इन समस्त समितियों के स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया गया है। प्रदेश में गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है।

जैवविविधता प्रबंधन समिति की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	स्थानीय निकाय	स्तर	स्थानीय निकाय की कुल संख्या	गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की कुल संख्या *
1	पंचायत स्तर	जिला पंचायत	52	52
		जनपद पंचायत	313	313
		ग्राम पंचायत	22814	22814
		योग	23179	23179
2	नगरीय निकाय	नगर निगम	16	16
		नगर पालिका	98	98
		नगर परिषद	264	264
		योग	378	378
		महायोग	23557	23557

\* Note- \*as on date 100 percent BMCs are constituted

- As per the amendment in MP Biological Diversity Rules, 2004- Rule 23 (2) total no of 13718 JFMC cum BMCs have been constituted at Gram Sabha level by Forest Department
- As per order of Department of Urban Development, Govt of MP dated 8 June 2020 PIC of council (Chairmen of council) of Nagar Palika and Nagar Parishad and MIC (Mahapor of council) of Nagar Nigam are nominated for functioning of BMCs at all urban body level in the state. ( Annexure-1)

54

3. As per order of Department of Panchayat and Rural Development, Govt of MP dated 4 July 2020 all administrative committee (Where local body Panchayat dissolved) and Panchayat ( Panchayat level where BMCs have not constituted) have been ordered for performing BMCs responsibilities. ( Annexure-2)
3. बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित न्यायालय प्रकरण क्र. 3407/2016 के दिनांक 09 अगस्त 2019 एवं 18.03.2020 के निर्णय के पालन में कोविड-19 के दिशानिर्देश का पालन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों स्तर (पंचायत स्तर पर 23179 एवं नगरीय निकाय स्तर पर 378, कुल 23557) पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण (People's Biodiversity Register- PBR) का कार्य पूर्ण किया गया है।

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की अद्यतन स्थिति (Updated on 10.07.2020)

क्रमांक	स्थानीय निकाय	स्तर	स्थानीय निकाय की कुल संख्या	लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की कुल संख्या *
1	पंचायत स्तर	जिला पंचायत	52	52
		जनपद पंचायत	313	313
		ग्राम पंचायत	22814	22814
		योग	<b>23179</b>	<b>23179</b>
2	नगरीय निकाय	नगर निगम	16	16
		नगर पालिका	98	98
		नगर परिषद	264	264
		योग	<b>378</b>	<b>378</b>
		महायोग	<b>23557</b>	<b>23557</b>

\* Note- Digital and dynamic base PBR have been prepared with secondary data. Secondary data received from line departments and local body. **As on date 100 percent Digital and dynamic PBRs are completed.**

4. लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु जैवविविधता के सहयोगी विभागों (मुख्यालय) द्वारा एवं मैदानी स्तर के निकायों द्वारा विभागीय सेकंडरी डाटा की जानकारी को बोर्ड को उपलब्ध कराई गई। स्थानीय निकायों एवं बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों से

सेकंडरी डाटा की जानकारी को पीबीआर फॉर्मेट में डिजिटल रूप से संकलित कर सेकण्डरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया गया है।

5. समिति को अवगत कराया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समिति स्तर पर तैयार की गई लोक जैवविविधता पंजी की तकनीकी परीक्षण तथा गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है। इस हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर निम्नानुसार समितियों गठन किया गया है।

1. राष्ट्रीय स्तर पर— (परिशिष्ट-3 )

People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति

2. राज्य स्तर पर— (परिशिष्ट-4 )

राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति (मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में)

3. राज्य स्तरीय उप समिति (परिशिष्ट-5 )

राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति(सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में)

4. बोर्ड स्तर पर— (परिशिष्ट-6 )

People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति

(सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में)

प्रदेश में व्यापक स्तर पर संपन्न लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण कार्य का Quality Evaluation Monitoring हेतु उपरोक्त समितियों गठन किया गया है।

6. राज्य स्तर People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति की बैठक के पूर्व उप समिति द्वारा लोक जैवविविधता पंजी में निर्धारित प्रपत्र में संकलित सेकण्डरी डाटा का तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना है। इस उद्देश्य से उप समिति की बैठक का आयोजन किया गया है।
7. डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी एण्ड डी) म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी

निर्माण (People's Biodiversity Register- PBR) निर्माण की प्रक्रिया को विभागों के विभाग प्रमुखों के प्रतिनिधियों के समक्ष निम्न बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया।

- 7.1 लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के प्रपत्र एवं अध्याय— राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा के प्रपत्रों के अनुरूप ही मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दो भाषाओं Bilingual (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रपत्र तैयार किये गये। इन प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रपत्रों को निम्नानुसार अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है—

#### लोक जैवविविधता पंजी के अध्याय

Chapter No	Name of Chapter
1	General Information
2	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil
3	Forest Biodiversity
4	Agro Biodiversity
5	Aquatic Biodiversity
6	Traditional Knowledge
7	Access Benefit Sharing (ABS)

- 7.2 सदस्यों को अवगत कराया गया कि समस्त Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य माह मई से 10 जुलाई 2020 तक की अवधि में किया गया है।
- 7.3 राज्य स्तरीय प्रयास — राज्य स्तर से शासन, विभाग तथा बोर्ड द्वारा Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य हेतु किये गये प्रयासों से समिति सदस्यों को निम्नानुसार अवगत कराया गया।
- 7.3.1 दिशानिर्देश— जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों के लिए प्रमुख, सचिव, वन विभाग द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु विशेष दिशानिर्देश जारी किये गये।
- 7.3.2 विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग— वन विभाग, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा एवं पंचायत विभाग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का विशेष आयोजन कर मैदानी जिला स्तर के वन एवं जिला पंचायत के अधिकारियों को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये।

7.3.3 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल में State level PBR Preparation Cell (Special Task Force- PBR) का गठन किया गया है। सेल में बोर्ड द्वारा 6 तकनीकी विशेषज्ञ एवं 1 यूएनडीपी इन्टर्न को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु स्थानीय निकाय/जैवविविधता प्रबंधन समिति को तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सेवा प्राप्त की गई है।

प्रकोष्ठ के सदस्य निम्नानुसार हैं, जो कि जैवविविधता आधारित भिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं—

1. श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
2. डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
3. डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
4. डॉ. कुनिका सिलोदिया, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
5. डॉ. गौरव सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
6. श्री प्रखर गुप्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
7. श्री विजेश हरियाले, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
8. श्री शुभम सिंह पंकज, (UNDP-Intern) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
9. श्री प्रकाश मेहता, तकनीकी विशेषज्ञ— मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
10. श्री पियूष जाधम, तकनीकी विशेषज्ञ—डाटा, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।

7.3.4 M.P. Council of Science & Technology Bhopal (MAPCOST, Bhopal) के सहयोग से जनपद पंचायत स्तर के एवं नगरीय निकाय के मानचित्र मानचित्र प्राप्त किये गये। मानचित्रों के आधार पर लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में निकाय स्तर पर वन क्षेत्र एवं जल संरचनाओं के आधार पर सेकंडरी डाटा तैयार किया गया।

7.3.5 **डाटा बैंक**— बोर्ड द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त सेकंडरी डाटा को संकलित कर डाटा बैंक तैयार किया गया। डाटा बैंक में जिले वार तथा विभाग वार सेकंडरी डाटा तैयार किया गया है। इस डाटा बैंक में उपलब्ध डाटा से लोक जैवविविधता पंजी के प्रपत्रों के अनुसार डाटा प्राप्त कर पंजी का निर्माण किया गया।

- 7.4 **जिला स्तर पर प्रयास** – राज्य स्तरीय निर्देशों के पालन में जिला स्तर से लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया है।
- 7.4.1 **जिला स्तर पर नोडल अधिकारी**– जिला स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु स्थानीय जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों से समन्वय स्थापित कर सेकंडरी डाटा एकत्रित करने हेतु पंचायत स्तर के लिये जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये।
- 7.4.2 **तकनीकी समर्थन समूह**– जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समर्थन समूह द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में मैदानी विभागों के सेकंडरी डाटा प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।
- 7.5 **पंजी निर्माण की प्रक्रिया**– डा. बकुल लाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि लोक जैवविविधता पंजी के अध्याय को डाटा संकलन हेतु दो भागों में विभक्त किया गया।

Chapter No	Name of Chapter	Chapters Segregated for Secondary data collection
1	General Information	<b>Part-1</b> General information
2	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil	
3	Forest Biodiversity	<b>Part-2</b> Biodiversity- Sector specific information.
4	Agro Biodiversity	
5	Aquatic Biodiversity	
6	Traditional Knowledge	
7	Access Benefit Sharing (ABS)	

- 7.5.1 लोक जैवविविधता पंजी के पार्ट-1 के अध्यायों के लिये National Population Register (NPR) 2011 से डाटा प्राप्त किया गया। जिसमें Geographical area (Hact./ Sq Km), Total House holds, Total population, Total population of male and female, Water resources (Status) Well, handpumps, tubewell/ borewell, Spring, River/ Canal, Pond/ lake/tank, Nine fold Land classification (Hactares) का डाटा प्राप्त किया गया। इसके साथ ही के Soil type लिये Department Farmers Welfare and Agriculture Development Govt of MP- का डाटा प्राप्त किया गया।

- 7.5.2 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-1 के अध्यायों के लिये प्रत्येक स्थानीय निकाय की जैवविधिता प्रबंधन समिति के लिये Unique ID तैयार कर डाटा का संकलन किया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय हेतु पार्ट-1 के अध्यायों के लिये जानकारी पृथक-पृथक हैं।
- 7.5.3 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के अध्यायों के लिये प्रत्येक जिले के लिये के लिये Master file तैयार की गई। इसका मुख्य कारण यह है कि सेकंडरी डाटा की उपलब्धता एक जिले में स्थित स्थानीय निकाय पर Replicate होती है।
- 7.5.4 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये 52 जिलों को 20 मास्टर फाईल तैयार की गई। मास्टर फाईल तैयार करने हेतु निम्नानुसार आधार लिया गया।
- Agro-climatic zone based districts clusters- 11 Agro-climatic regions and 5 crop zones.
  - River Basin base districts clusters- Districts are divided according to 11 river basins.
  - Soil type based districts clusters- Districts are divided according to four soil type.
  - Google Earth Map- habitat estimation vegetation and water bodies.
- 7.5.5 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये ग्राम पंचायत स्तर के लिये मानचित्रों के आधार पर निम्नानुसार ग्राम पंचायतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।
- Sets of combination at local body clusters
  - Local body has only agriculture biodiversity
  - Local body has agriculture and forest biodiversity
  - Local body has agriculture and aquatic biodiversity
  - Local body has agriculture, forest and aquatic biodiversity
- 7.5.6 मास्टर फाईल में वन विभाग के वर्किंग प्लान, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, तथा मत्स्य पालन विभाग से उनसे संबंधित जैवविधिता का सेकंडरी डाटा प्राप्त किया गया। इसके साथ ही जनपद पंचायत स्तर पर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा संकलित सेकंडरी डाटा भी प्राप्त किया गया। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा पूर्व में तैयार किये गये 890 लोक जैवविधिता पंजी से भी सेकंडरी डाटा प्राप्त किये गये।

- 7.5.7 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये जलीय जैवविधिता हेतु Aquatic Biodiversity- Districts wise segregated River basin data (Aquatic species details) used की जानकारी को उपयोग में लाया गया।
- 7.5.8 Traditional Knowledge के अध्याय के लिये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है।
- 7.5.9 अध्याय Access Benefit Sharing (ABS)- के प्रपत्रों के लिये बोर्ड स्तर पर उपलब्ध डाटा को प्राप्त किया गया है।
- 7.5.10 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये तैयार की गई मास्टर फाईल के डाटा को संबंधित जिलों के सेकंडरी डाटा के लिये Data Source file के रूप में उपयोग में लाया गया। इसके आधार पर जिलों के पार्ट-2 अध्यायों के सेकंडरी डाटा तैयार किया गया।
- 7.5.11 संपूर्ण लोक जैवविधिता पंजी स्थानीय निकाय के यूआईडी नंबर के आधार पर पार्ट-1 तथा उस जिलों के पार्ट-2 के डाटा को एक साथ जोड़कर उस स्थानीय निकाय की एक लोक जैवविधिता पंजी तैयार की गई है।
8. **Digital and Dynamic लोक जैवविधिता पंजी का प्रस्तुतीकरण** – बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समिति के समक्ष बोर्ड प्रत्येक स्थानीय निकाय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिका, तथा नगर परिषद स्तर की तैयार की गई लोक जैवविधिता पंजी के समस्त अध्यायों के समस्त प्रपत्रों में संकलित जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
9. **समिति सदस्यों के सुझाव**— उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के आधार पर समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव से अवगत कराया गया—
- 9.1.1 श्री एच.सी. गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में स्थानीय निकाय पर लोक जैवविधिता पंज का निर्माण कार्य व्यापक स्तर पर किया गया है। जो की सराहनीय है। इस कार्य को पीबीआर फॉर्मेट में डिजिटल रूप से संकलित कर सेकंडरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविधिता पंजी का निर्माण कार्य को निरंतर अपडेट/अद्यतन किये जाने की आवश्यकता है। वन विभाग द्वारा वनमण्डल स्तर की कार्यआयोजना (Working plan) की जानकारी बोर्ड को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध

कराई गई है। इसके साथ ही वन विभाग के आईटी शाखा द्वारा संधारित डिजिटल मानचित्र की एसएचएफ तथा केएमएल फाईल सॉफ्ट कॉपी बोर्ड को उपलब्ध कराई गई है। जिससे पंजी निर्माण में सहायता प्राप्त हुई है।

- 9.1.2 श्री आर.पी. गोयल, संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि जैवविविधता के अध्याय के सेकंडरी डाटा की जानकारी बोर्ड को शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। विभाग द्वारा सभी जिला स्तर के अधिकारियों को बोर्ड को सेकंडरी डाटा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जायेगा।
- 9.1.3 श्री एस.एस. तोमर आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग द्वारा कृषि जैवविविधता के अध्याय में उद्यानिकी प्रजातियों के समावेश हेतु विभागीय सूची के साथ जानकारी प्रस्तुत की गई।
- 9.1.4 डॉ. अजय रामटेके, उप संचालक संचालक, पशुपालन विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि जिला स्तर के सभी संबंधित विभागों को उनके विभागों की मास्टर फाईल की प्रति उपलब्ध कराई जाये। लोक जैवविविधता पंजी को बोर्ड स्तर अथवा स्थानीय निकाय स्तर पर जानकारी प्राप्त होने पर निरंतर अपडेट किया जाना होगा। पशुपालन विभाग के उपसंचालकों द्वारा मैदानी स्तर की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड तथा संबंधित स्थानीय निकायों को उपलब्ध कराई गई है।
- 9.1.5 समिति सदस्य श्री भरत सिंह उप संचालक, संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पंजी में जलीय जैवविविधता की जानकारी इस हेतु बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर फाईल को विषय अनुसार विभक्त कर संबंधित विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जावे। इसके साथ अवगत कराया गया कि मत्स्य विभाग के जिला अधिकारियों से जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9.1.6 समिति सदस्य श्री सुभाष शर्मा आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम सभी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। उन्होंने

अवगत कराया कि जिला पंचायत, जनपद पंचायत को पंजी की मास्टर फाईल में संकलित जानकारी को अपडेट किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेगे।

- 9.1.7 समिति सदस्य श्री नीरज श्रीवास्तव आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जैवविविधता के संबंधित जानकारी से अवगत होना चाहा। इस परिप्रेक्ष्य में डॉ. बकुल लाड़ द्वारा जैवविविधता के महत्व एवं संरचनात्मक ढांचे से बैठक में अवगत कराया गया। उन्होंने अवगत कराया कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषदों को लोक जैवविविधता पंजी की मास्टर फाईल में संकलित जानकारी को अपडेट किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेगे।

#### 10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सुझाव—

- 10.1.1 सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सेकंडरी डाटा के आधार पर तैयार की गई पंजी Digital and Dynamic इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। समिति सदस्यों के सुझावों को पंजी में सम्मिलित कर पंजी को अपडेट किये जाने की कार्यवाही निरंतर किया जावे। इस हेतु उप समिति में विभागों के प्रतिनिधि सदस्यों का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त करे।
- 10.1.2 पंजी के पार्ट-1 में जैवविविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों का विवरण प्रपत्रों में समावेश कर पंजी को अद्यतन करे।
- 10.1.3 मानचित्रों के साथ उनके स्थानीय निकायों के नाम का उल्लेख अवश्य करे।
- 10.1.4 भोपाल नगरीय निकाय स्तर की लोक जैवविविधता पंजी में नगरीय निकाय स्तर की जानकारी को अपडेट किये जाने हेतु वन विहार की प्रबंधन योजना बोर्ड को उपलब्ध करवाने के लिये समिति सदस्य श्री सुदेश बाघमारे से सहयोग प्राप्त किये जाने हेतु पीबीआर के तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देशित किया गया।
- 10.1.5 सदस्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि वनमण्डल के Working plan की जानकारी के आधार पर जनपद पंचायत स्तर की तैयार की गई लोक जैवविविधता पंजी को क्षेत्र विशेष के आधार पर संकलित जानकारी का पुनः परीक्षण कर लेवे।
- 10.1.6 कृषि जैवविविधता से संबंधित प्रपत्रों की जानकारी में कृषि प्रजातियों के संपूर्ण जानकारी का समावेश करे। इस हेतु सेकंडरी डाटा प्राप्त किये जाने हेतु कृषि

विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को कृषि विभाग द्वारा एवं बोर्ड द्वारा पत्र जारी किये जाये। प्राप्त जानकारी के आधार पर कृषि क्षेत्र की देशी एवं हाईब्रिड प्रजातियों की जिलेवार संपूर्ण चेकलिस्ट तैयार किया जाये। इसके आधार पर पंजी को निरंतर अपडेट किये जाने की कार्यवाही करे।

- 10.1.7 सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि पंजी की जानकारी के आधार पर ही उस स्थानीय निकाय की जैवविविधता प्रबंधन योजना तैयार होगी। इस हेतु निर्देशित किया गया कि पार्ट-2 के अध्यायों के लिये तैयार की गई मास्टर फाईल को जिले में replicate की कार्यवाही में उस जिले की एवं क्षेत्र विशेष निकाय की विशेषता वाली जानकारी का पृथक से संकलन कर चेक लिस्ट तैयार करे। चेक लिस्ट के माध्यम से पंजी में संकलित जानकारी का परीक्षण जारी रखे एवं पंजी के प्रपत्रों की अप्राप्त जानकारी को विभागों से प्राप्त कर पंजी को अद्यतन करने की कार्यवाही करे।
- 10.1.8 बोर्ड द्वारा लोक जैवविविधता पंजी की मास्टर फाईल को जिले के स्थानीय निकाय जिला पंचायत तथा जनपद पंचायतों को प्रेषित किया जायें। इसके साथ ही मास्टर फाईल के विभागीय अध्याय की प्रति को विभागों को भी प्रेषित करे जिससे की लोक जैवविविधता पंजी के Digital and Dynamic इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस को निरंतर अपडेट/अद्यतन किया जा सके।
- 10.1.9 इस हेतु सभी संबंधित विभागों के मुख्यालय द्वारा भी विभागों के जिला अधिकारियों को लोक जैवविविधता पंजी को अपडेट/अद्यतन किये जाने की कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाने की कार्यवाही किया जावे।
- 10.1.10 सदस्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समिति के सुझावों पर कार्यवाही पूर्ण कर राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन दिनांक 24.07.2020 को अपराह्न 03.30 बजे किया जावे।

## 11. समिति द्वारा अनुमोदन –

64

प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत तथा नगरीय निकाय) पर सेकण्डरी डाटा के आधार पर तैयार की गई डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की गुणवत्ता का परीक्षण किया गया। समिति द्वारा डाटा संकलन का निरंतर अपडेट किये जाने के सुझाव प्रदान किये गये। लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में अपनाई गई प्रक्रियां तथा पंजी के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस की गुणवत्ता का राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति द्वारा अनुमोदन किया गया।

सदस्य सचिव द्वारा प्रदेश में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के व्यापक एवं जटील कार्य को समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य संपादन हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की टीम के कार्य की सराहना करते हुये टीम के सदस्यों को बधाई प्रेषित की गई।

अंत में बोर्ड द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक समाप्त की गई।

  
OC (श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति)  
सदस्य सचिव

पृ.कमांक/जैविबो/स.स.स(सी.एण्ड.डी.)/2019-20/2296 भोपाल,दिनांक 23/07/2020  
प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विध्यांचल भवन भोपाल।
3. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, विध्यांचल भवन भोपाल।
4. संचालक, पशुपालन विभाग, कामधेनु भवन वैशाली नगर भोपाल।
5. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, भदभदा रोड, भोपाल।
6. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, अरेरा हिल्स भोपाल।
7. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पालिका भवन, 6 नम्बर, भोपाल।
8. समस्त सहायक सदस्य सचिव, (प्रशा. एवं वित्त/सी एण्ड डी/बायो./प्रोजेक्ट) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल।
9. समस्त, तकनीकी विशेषज्ञ-पीबी.आर. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
10. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

 सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

65

भोपाल, दिनांक 06 जून 2020  
४

// आदेश //

क्रमांक-1281/1746/2019/18-2 : देश की प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति ( Biodiversity Management Committee) का गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 23 (1) के अनुसार स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तक राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 (2) के अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद की पी.आई.सी. (अध्यक्षीय परिषद) तथा नगर निगम की एम.आई.सी. (महापौर परिषद) को जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्य करने के लिए नामांकित करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Amith*  
(डॉ. अमिताभ अवरस्थी) 08/06/2020  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्र. 1282/1746/2019/18-2  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 06 जून 2020  
४

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, 26 प्रथम तल किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश, नगर पालिक निगम/नगर पालिका /नगर पालिका परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*Ushan*  
*BMC*  
*M*

म. प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड
शाखा - AMS (C&D)
डी.एल. ....
नेर्देश - ....
सदस्य सचिव

*Amith*  
उप सचिव 08/06/2020  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3-6-2020

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 04/08.2020

क्रमांक 367 /पं.रा./एफ-1- /2020 जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना प्रावधानित है। इसी परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि ऐसी पंचायत जहां पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका, वहां प्रशासकीय समिति जैवविविधता प्रबंधन समिति के रूप में तब तक कार्य करेगी जब तक कि पंचायत का गठन नहीं हो जाता। जो पंचायतें वर्तमान में अस्तित्व में हैं किन्तु अपनी स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर सकी हैं, वे पंचायतें तत्काल प्रभाव से अंतरिम रूप से जैवविविधता प्रबंधन समिति के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेगी जब तक कि विधिवत संपूर्ण जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर लेती।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार.

  
04-7-2020  
(एस.आर.चौधरी)  
उप सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 04/08.2020

पृ0कमांक 368/पं.रा./एफ-1- /2020  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. सदस्य सचिव, म.प्र.राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
4. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
5. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र.।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, म.प्र.।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, म.प्र.।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
04-7-2020  
उप सचिव  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश, भोपाल



Ans (9)

वसु गुरुजी

4/7/20

4/7/20



# National Biodiversity Authority

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(A Statutory body of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

+91 44 2254 2777 1075  
+91 44 2254 1200  
www.nbaindia.org

5 Floor, CSIR Road, IICET Bio Park,  
Taramani, Chennai - 600 113, Tamil Nadu, India.  
5 वा तल, सीएसआईआर रोड, एडवैन्स बायो पार्क,  
तरायनि, चेन्नई - 600113 तमिल नाडु, भारत.



No. NBA/15/30/2019/SBB/NGT

Dated 20.01.2020

## OFFICE MEMORANDUM

- Sub:** Constitution of Monitoring Committee for overseeing the quality of People's Biodiversity Registers (PBRs) by evolving a suitable mechanism – regarding
- Ref:** Office Memorandum No. C-12027/6/2016-CS III dated 15/01/2020 of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, CS-III (Biodiversity) Division.

Section 41(1) of the Biological Diversity Act, 2002 states that, "Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity."

2. As per Rule 22(6) of the Biological Diversity Rules, 2004, the main function of the Biodiversity Management Committee is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them. The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Bio-diversity Management Committee.

3. People's Biodiversity Registers (PBRs) are statutory technical documents that capture all the details of biological resources and associated knowledge available in the jurisdiction of the local body. Any person or entity accessing these biological resources or associated knowledge for research / bio-survey / bio-utilization / commercial utilization, are under obligation to share a portion of their benefit to the local communities to help in the conservation and sustainable availability of these resources.

4. Preparation of PBRs require technical expertise at various stages. Compiling and collating the biological resources requires a comprehensive understanding of the subject matter. Therefore, a general awareness is required amongst local bodies for decision making in the use of biological resources available in their jurisdiction.

5. The Principal Bench of the Hon'ble National Green Tribunal vide Order dated 9<sup>th</sup> August 2019 in OA No. 347 of 2016 had issued instructions to constitute a monitoring Committee to oversee the quality of PBRs on sample basis by evolving a suitable mechanism.

68

6. Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Office Memorandum referred above, has authorized the National Biodiversity Authority to constitute two Committees which will monitor the quality of PBRs.

7. Accordingly, the following Committees are being constituted as below:-

A. **Monitoring Committee – I** for States / Union Territories – Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha, Goa, Andaman and Nicobar, Dadar and Nagar Haveli, Diu and Daman, Lakshadweep and Puducherry is as below:

S.No.	Name	Designation / Organisation	Chairperson / Members
1	Dr. S.K. Khanduri	Ex-PCCF, Kerala	Chairperson
2	Dr. Joseph Bagyaraj	Microbiologist and Honorary Scientist	Member
3	Dr. Oomen V Oomen	Ex -Chairman, SBB, Kerala	Member
4	Dr. D. Narasimhan	Retd. Professor, Madras Christian College	Member
5	Dr. Ramakrishna	Ex-Director, ZSI	Member
6	Dr. V.G. Malathi	Ex-Principal Scientist, ICAR	Member

B. **Monitoring Committee – II** for States / Union Territories – Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh is as below:

S.No.	Name	Designation / Organisation	Chairperson / Members
1	Dr.R.B.S. Rawat	Ex-PCCF, Uttarakhand	Chairperson
2	Dr. A.K. Gupta	Ex- PCCF, Tripura	Member
3	Shri R.R. Shukla	Ex-PCCF, Kerala	Member
4	Shri Arakkal Ashraf	Ex-PCCF and Ex Member Secretary, Maharashtra SBB	Member
5	Dr. P.K. Singh	Principal Scientist, National Bureau of Animal Genetic Resources	Member
6	Dr. M. Sanjappa	Ex-Director, BSI	Member
7	Dr. Neelima Jerath	Ex-Member Secretary, Punjab SBB & DG, Science City, Kapurthala	Member

8. The Secretary, NBA would serve as Member Secretary for both the committees.

9. The Monitoring Committees would have the following terms of reference:


60

- i. To oversee the quality of PBRs on sample basis by evolving a suitable mechanism;
- ii. To interact with relevant stakeholders who are involved in the preparation of PBRs or as it deems fit;
- iii. To submit report to NBA every three months. The first report is to be submitted on or before 31<sup>st</sup> March 2020;

10. The tenure of the Committee shall be for a period of two years from the date of its constitution. The NBA may amend the TORs, if required.

11. The guidelines for the Committee shall be as referred to in Annexure I.

12. This issues with the approval of the competent authority.



(J.JUSTIN MOHAN, IFS)

Secretary, National Biodiversity Authority.

To

1. All Members of the Committee (as per Annexure II)
2. All Chairman's of State Biodiversity Boards
3. All Member Secretaries of State Biodiversity Boards
4. Private Secretary to Chairman, NBA
5. Administrative Officer, NBA
6. Accounts Officer, NBA
7. Guard File

(70)

## ANNEXURE – I

### GUIDELINES

The following guidelines are issued for proper conduct of the meeting to achieve the expected outcomes.

1. Committees are being constituted mainly to advise NBA on technical, techno-legal, administrative, scientific, statutory and miscellaneous matters. The role of the Committee is more or less similar to that of 'Amicus Curiae' in the Court of Law.
2. Chairman/Member Secretary of the Committee are empowered to invite/seek opinion of experts/special invitees, academicians and others as they deem fit.
3. The Chairman and members are requested to kindly make it convenient to attend the meeting at the fixed venue and time. The NBA / State Biodiversity Board (SBB) will arrange transport from Airport / Railway station / bus stand to and from the venue of the meeting.
4. The travel of cost by Air (Air India - economy class) / train (AC-II Tier) / road mileage etc., incurred by the Chairman and the members / invitees will be reimbursed on production of the tickets / boarding pass along with bills in the prescribed format provided by NBA/SBB. The lodging and boarding will be provided by the NBA/SBB.
5. As per the directions issued by the Ministry of Finance vide O.M. no. No.19024/2212017-E. IV, dated 19<sup>th</sup> July, 2017, the Members are required to purchase the ticket from three authorized travel agents viz. M/s Balmer Lawrie & Company limited (BLCL), M/s Ashok Travels & Tours (ATT) and Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC), or tickets may be booked directly from the Airlines.
6. The Chairman of the committee is entitled for an amount of Rs.6000/- as sitting fee per day. Members and other invitees are entitled for an amount of Rs.4000/- as sitting fee per day.
7. As per OM. No. 19047/10/2016-E-IV dt 12/4/2017 issued by Ministry of Finance, non-official members alone are entitled to draw sitting fees for attending the meetings of the Expert Committee. The definition of Non-official members as per OM are as follows: "*For the purpose of grant of sitting fee only such persons are to be considered as non-officials who are not employed in any institution / organisation / body funded by the Central Government*".
8. The committee is requested to submit a quarterly report to the NBA duly authenticated by all the members. The NBA in turn shall furnish the report to the MoEF&CC. In

71

order to finalize and submit the report, a lump sum of Rs.5,000/- will be paid to the Chairman per quarter, to meet the postal expenses, mobile, internet charges and cost of secretarial assistance at his place of stay on request. For payment of lump sum, a self-declared certificate to the effect that the expenditure has been incurred for the above purpose has to be furnished by the Chairman.

9. The committee shall oversee the PBR preparation in accordance with the provisions of the Biological Diversity Act, 2002 and the Rules / Regulations / Guidelines framed thereunder.
10. The Chairman and members shall exchange notes and views on the subject matter to be discussed during the meeting / field visit. Given the sensitivity and nature of deliberations of the Committee, members are requested not to engage in any bilateral discussion with non-members regarding the subject matter.

X-X-X

72

ANNEXURE – II

1	Dr. S.K. Khanduri, 409, Nilaya Hills, Haridwar Bypass, Dehradun 248001, Uttarakhand. Tel: 9871800409; <a href="mailto:skhanduri57@gmail.com">skhanduri57@gmail.com</a>
2	Dr. R.B.S. Rawat, 188/1 Doon Valley Officers Society, Vasant Vihar, Dehradun 248006, Uttarakhand. Tel: 9412051550; <a href="mailto:raghubir226@gmail.com">raghubir226@gmail.com</a>
3	Shri R.R. Shukla, 107/112 (A) Jawahar Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh. Tel: 91 9895076129; <a href="mailto:rrskerala@yahoo.co.in">rrskerala@yahoo.co.in</a>
4	Dr. A.K. Gupta, Senior Professional Fellow, Wildlife Institute of India, P. O. Box #18 Chandrabani, Dehradun 248001, Uttarakhand. Tel: 94364 50822; <a href="mailto:akphayri@gmail.com">akphayri@gmail.com</a>
5	Shri Arakkal Ashra, No-115/116, Swaraj Nagar, Manewada, Nagpur, Maharashtra. Tel: 8208020463   <a href="mailto:ash.arakkal@gmail.com">ash.arakkal@gmail.com</a>
6	Dr. Joseph Bagyaraj, No. 41 RBI Colony, Anand Nagar, Bengaluru, Karnataka. Tel: 91- 9448465368; <a href="mailto:djbagyaraj@gmail.com">djbagyaraj@gmail.com</a>
7	Dr. M. Sanjappa, 502, Block C-7, Kendriya Vihar, Ballari Road, Yelahanka, Bengaluru 560064, Karnataka. Tel: Phone: 080 23330153 Ext.302. Email: <a href="mailto:sanjappam@ymail.com">sanjappam@ymail.com</a>
8	Dr. Ramakrishna, Flat No. 6, Navami Varsha Apartment, Srinivasapura, Opposite JSS Engineering College, Bangalore – 560060, Karnataka. Tel: 7760669210; <a href="mailto:Ramakrishna.zsi@gmail.com">Ramakrishna.zsi@gmail.com</a>
9	Dr. P.K. Singh, E-2, National Bureau of Animal Genetic Resources, GT Road bypass, PO Box-129, Karnal 132001, Haryana. Tel: Ph. 09416411329(M); <a href="mailto:pkmathura@gmail.com">pkmathura@gmail.com</a>
10	Dr. Oomen V Oomen, GRA E-77, Gandhipuram, Sreekaryam, Trivandrum 695017, Kerala. Tel: 9447728940 Email: <a href="mailto:pommenvo@gmail.com">pommenvo@gmail.com</a> ,
11	Dr. V.G. Malathi, Sreekumaran Hill Crest Apartment, CKS Avenue, Thondamuthur, Coimbatore 641046, Tamil Nadu. Tel: 8110996093; <a href="mailto:vgmalathi@rediffmail.com">vgmalathi@rediffmail.com</a>
12	Dr. Neelima Jerath, Director General, Pushpa Gujral Science City, Jalandhar-Kapurthala Road, Kapurthala, Punjab. Mob: 7087032265 / 9417555857; <a href="mailto:neelimakj@yahoo.co.uk">neelimakj@yahoo.co.uk</a>
13	Dr. D. Narasimhan, No. 5, Santhana Lakshmi Street, Rajeswari Nagar Selaiyur, Chennai-600 073, Tamil Nadu. Mobile: 98402 31967; <a href="mailto:narasimhand@gmail.com">narasimhand@gmail.com</a>

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
बल्लभ भवन, भोपाल-462004

73

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28 मई, 2020

कमांक एफ 19-31/2020/1/4 :: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 347/2016 श्री चन्द्रमाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 की सतत समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश	सदस्य
6	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य सचिव

2/ उक्त समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत Biodiversity Management Committees (BMC) का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framework का उपयोग कर लोक जैव विविधता पंजी (PBRs) के निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परिक्षण करना और राष्ट्रीय स्तर पर उक्त कार्य हेतु बनी समिति को सहयोग करना रहेगा।

3/ समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

(डी. के. नागेंद्र)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन,


सामान्य प्रशासन विभाग

पू. कमांक एफ 16-31/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2020

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
  5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

74

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24/06/2020

क्रमांक आर 704/2542/2019/10-2 :: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक/347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09-08-2019 व 18-03-2020 की सतत समीक्षा हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-31/2020/1/4 दिनांक 29-05-2020 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का गठन किया गया है।

2/ राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02-06-2020 में लिये गये निर्णय अनुसार लोक जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता को समय-समय पर अनुश्रवण कर वाच्छित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार उप समिति का गठन किया जाता है:-

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड - अध्यक्ष
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का प्रतिनिधि - सदस्य
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
4. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
5. संचालक, पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
6. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
7. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
8. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
9. सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड -सदस्य सचिव

3/ उप समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framwork का उपयोग कर प्रदेश में लोक जैव विविधता पंजी निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परीक्षण करना और उक्त कार्य में राज्य स्तरीय समिति का सहयोग करना है।

4/ उप समिति के अध्यक्ष समय-समय पर बैठक आहूत करेंगे। कंडिका-2 में उल्लेखित कार्यों के पूर्ण होने तक समिति कार्य करेगी। समिति अपना प्रतिवेदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

22/6/2020  
(अतुल कुमार मिश्रा)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक आर 705/2542/2019/10-2

भोपाल, दिनांक 24/06/2020


प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. आयुक्त/संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अरेरा हिल्स, भोपाल
7. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पालिक भवन, 6 नम्बर, भोपाल
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल
9. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल
10. संचालक, पशुपालन विभाग, कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल
11. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, भदभदा रोड, भोपाल
12. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, किसान भवन, भोपाल
13. सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/6/2020  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



# MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

## मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(Statutory, Autonomous and Regulatory Body of Govt. of M. P. | म. प्र. शासन की वैधानिक, स्वायत्त एवं नियामक संस्था)

क./जैविबो/सहा.स.स. (सी.एण्ड.डी)/PBR-39/2020-21/1883 भोपाल दिनांक 18.06.2020

// आदेश //

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में प्रदेश में स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर सेकण्डरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक जैवविविधता पंजी की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है। इस हेतु प्रदेश स्तर पर समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति तथा राज्य स्तरीय उप समिति का गठन किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में लोक जैवविविधता पंजी में निर्धारित प्रपत्र में संकलित सेकण्डरी डाटा का तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना है। इस उद्देश्य से बोर्ड स्तर पर निम्न विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति का गठन किया जाता है-

क्र.	विशेषज्ञ का नाम	पदनाम	
1.	डॉ. बकुल लाड	सहायक सदस्य सचिव, सी.एण्ड.डी मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल	अध्यक्ष
2.	डॉ. सुदेश बाधमारे	(से.नि.) उप वन संरक्षक भोपाल	सदस्य
3.	डॉ. विपिन व्यास	एसोसियेट प्रो. बायोंसाइन्स विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल	सदस्य
4.	डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना	सहा. प्राध्यापक, चित्रांश ए.डी.पी.जी. कॉलेज भोपाल	सदस्य
5.	डॉ. माधुरी मोडक	(से.नि.) प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) भोपाल	सदस्य
6.	डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र	वैज्ञानिक -बी, सेन्ट्रल जोन रिजनल सेन्टर जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इण्डिया	सदस्य
7.	मो. खालिक खॉन	अध्यक्ष, भोपाल बर्ड्स भोपाल	सदस्य
8.	डॉ. संगीता राजगीर	सदस्य सचिव, भोपाल बर्ड्स भोपाल	सदस्य
9.	श्री प्रकश मेहता	तकनीकी विशेषज्ञ, पी.बी.आर, उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड) (मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपस्थिति उपरांत)	सदस्य
10.	श्री सुभम पंकज	यू.एन.डी.पी. इन्टर्न मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल	सदस्य सचिव

लोक जैवविविधता पंजी का तकनीकी रूप से गुणवत्ता का परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा सदस्यों को लोक जैवविविधता पंजी की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराई जायेगी। सभी सदस्यों को पात्रतानुसार बैठक में सम्मिलित होने हेतु वास्तविक यात्रा प्रतिपूर्ति व मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

o/c

  
(आर.श्रीनिवास मूर्ति)  
सदस्य सचिव

77

पृष्ठां.पत्र क. / जैविबो / सहा.स.स.(सी.एण्ड.डी) / PBR-39 / 2020-21 / 1884भोपाल दि.18.06.2020

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. बकुल लाड, सहा. स. सचिव, (सी.एण्ड.डी) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल
2. डॉ. एस.आर. वाघमारे, (से.नि.) उप वन संरक्षक, बी-77 विद्या नगर, भोपाल
3. श्री विपिन व्यास, प्रो. बायोंसाइन्स विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल
4. डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना सहा. प्राध्यापक, चित्रांश ए.डी.पी.जी. कॉलेज भोपाल
5. श्रीमती माधुरी मोडक, डी-5 / 103, रुद्राक्ष पार्क फेस-2, शाहपुरा थाना के पास, भोपाल
6. डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र, 168-169, एस.बी.आई. चौक, कृषि मण्डी, विजय नगर, जबलपुर
7. मो. खालिक खॉन, 30, सलेहा परिसर, फेश -2 पिपलानी भोपाल
8. श्रीमती संगीता राजगीर, एम-16, शास्त्रीनगर कॉलोनी, टी.टी. नगर भोपाल
9. श्री सुभम पंकज, यू.एन.डी.पी. इन्टर्न मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल
10. श्री प्रकाश मेहता तक. विशेषज्ञ, पी.बी.आर, उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

dc

  
सदस्य सचिव



**सहायक सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, डॉ. बकुल लाड की अध्यक्षता में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति की बैठक**

**बैठक दिनांक – 17/07/2020 (प्रातः 11.30 बजे)**

**कार्यवाही विवरण**

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल के सभा कक्षा में दिनांक 17/07/2020 को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु बोर्ड स्तर पर गठित विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित हुए-

1. डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी एण्ड डी), म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
2. डॉ. एस.आर. वाघमारे, (से.नि.) उप वन संरक्षक, बी-77 विद्या नगर, भोपाल।
3. श्री विपिन व्यास, सहा. प्राध्यापक, बायोसाइन्स विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल।
4. डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना, सहा. प्राध्यापक, चित्रांश ए.डी.पी.जी. कॉलेज भोपाल (म.प्र.)।
5. डॉ. माधुरी मोदक, (से.नि.), प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) डी-5/103, रूद्राक्ष पार्क फेस-2, शाहपुरा थाना के पास, भोपाल।
6. डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र, वैज्ञानिक-डी, सेन्ट्रल जोन रिजनल सेन्टर जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इण्डिया 68-169, एस.बी.आई. चौक, कृषि मण्डी, विजय नगर, जबलपुर।
7. मो. खालिक खॉन, अध्यक्ष, भोपाल बर्ड्स, 30, सलेहा परिसर, फेस -2 पिपलानी भोपाल।
8. डॉ. संगीता राजगीर, सदस्य सचिव, भोपाल बर्ड्स, एम-16, शास्त्रीनगर, टी.टी.नगर भोपाल।
9. डॉ. कुनिका सिलोदिया, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
10. डॉ. गौरव सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
11. श्री प्रखर गुप्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
12. श्री विजेश हरियाले, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
13. श्री प्रकाश मेहता, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
14. श्री पियूष जाधम, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।

बैठक में समिति के सदस्य श्री प्रत्यूष महापात्रा जबलपुर से ऑनलाईन उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित विषय विशेषज्ञ सदस्यों के परिचय के साथ बैठक कार्यवाही प्रारंभ की गई। इस बैठक के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है-

1. बैठक के प्रारंभ में डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी एण्ड डी), म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा बैठक में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के वैधानिक प्रावधान एवं पंजी निर्माण में जैवविविधता प्रबंधन समिति की भूमिका के संबंध में समिति सदस्यों को निम्नानुसार अवगत कराया गया।
  - 1.1 जैवविविधता नियम, 2004 (केंद्र) नियम 22 (6) अनुसार जैवविविधता प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से लोक जैवविविधता पंजी तैयार किया जाना प्रावधानित है। पंजी में स्थानीय जैविक संसाधनों की उपलब्धता और ज्ञान, उनके औषधीय या किसी अन्य उपयोग या उनसे जुड़े किसी भी अन्य पारंपरिक ज्ञान की व्यापक जानकारी सम्मिलित होती है। नियम 22 (8) -लोक जैव विविधता पंजी के प्रपत्रों में Digital and Dynamic इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस

तैयार किया गया है। इसके साथ ही नियम 22 (10) –जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता पंजी संधारित (Maintained) किया जायेगा और उसे विधिमान्य (Validated) किया जायेगा।

- 1.2 मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 नियम 23 (9) जैव विविधता प्रबंधन समिति द्वारा लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण प्रावधानित है।
  - 1.3 बैठक में लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की भूमिका के संबंध में अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता नियम 23 (12) के प्रावधानों के अंतर्गत जैव विविधता प्रबंधन समिति को लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण में मार्गदर्शन तथा तकनीकी सहायता प्रदान किया जाना है।
2. माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा लोक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन कार्य किया गया है। इन समस्त समितियों के स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण किया गया है। प्रदेश में गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है।

जैवविविधता प्रबंधन समिति की अद्यतन स्थिति

क्रमांक	स्थानीय निकाय	स्तर	स्थानीय निकाय की कुल संख्या	गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों की कुल संख्या *
1	पंचायत स्तर	जिला पंचायत	52	52
		जनपद पंचायत	313	313
		ग्राम पंचायत	22814	22814
		योग	<b>23179</b>	<b>23179</b>
2	नगरीय निकाय	नगर निगम	16	16
		नगर पालिका	98	98
		नगर परिषद	264	264
		योग	<b>378</b>	<b>378</b>
		महायोग	<b>23557</b>	<b>23557</b>

\* Note- \*as on date 100 percent BMCs are constituted

1. As per the amendment in MP Biological Diversity Rules, 2004- Rule 23 (2) total no of 13718 JFMC cum BMCs have been constituted at Gram Sabha level by Forest Department
  2. As per order of Department of Urban Development, Govt of MP dated 8 June 2020 PIC of council (Chairmen of council) of Nagar Palika and Nagar Parishad and MIC (Mahapor of council) of Nagar Nigam are nominated for functioning of BMCs at all urban body level in the state. ( **Annexure-1**)
  3. As per order of Department of Panchayat and Rural Development, Govt of MP dated 4 July 2020 all administrative committee (Where local body Panchayat dissolved) and Panchayat ( Panchayat level where BMCs have not constituted) have been ordered for performing BMCs responsibilities. ( **Annexure-2**)
3. बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय हरित न्यायालय प्रकरण क्र. 3407/2016 के दिनांक 09 अगस्त 2019 एवं 18.03.2020 के निर्णय के पालन में कोविड-19 के दिशानिर्देश का पालन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों स्तर (पंचायत स्तर पर 23179 एवं नगरीय निकाय स्तर पर 378, कुल 23557) पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण (People's Biodiversity Register- PBR) का कार्य पूर्ण किया गया है।

लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की अद्यतन स्थिति (Updated on 10.07.2020)

क्रमांक	स्थानीय निकाय	स्तर	स्थानीय निकाय की कुल संख्या	लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की कुल संख्या *
1	पंचायत स्तर	जिला पंचायत	52	52
		जनपद पंचायत	313	313
		ग्राम पंचायत	22814	22814
		योग	<b>23179</b>	<b>23179</b>
2	नगरीय	नगर निगम	16	16

क्रमांक	स्थानीय निकाय	स्तर	स्थानीय निकाय की कुल संख्या	लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की कुल संख्या *
	निकाय	नगर पालिका	98	98
		नगर परिषद	264	264
		योग	378	378
		महायोग	23557	23557

\* Note- Digital and dynamic base PBR have been prepared with secondary data. Secondary data received from line departments and local body. As on date 100 percent Digital and dynamic PBRs are completed.

4. लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु जैवविविधता के सहयोगी विभागों (मुख्यालय) द्वारा एवं मैदानी स्तर के निकायों द्वारा विभागीय सेकंडरी डाटा की जानकारी को बोर्ड को उपलब्ध कराई गई। स्थानीय निकायों एवं बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयासों से सेकंडरी डाटा की जानकारी को पीबीआर फॉर्मेट में डिजिटल रूप से संकलित कर सेकंडरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया गया है।
5. समिति को अवगत कराया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समिति स्तर पर तैयार की गई लोक जैवविविधता पंजी की तकनीकी परीक्षण तथा गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है। इस हेतु राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर निम्नानुसार समितियों गठन किया गया है।
  1. राष्ट्रीय स्तर पर- (परिशिष्ट-3)  
People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति
  2. राज्य स्तर पर- (परिशिष्ट-4)  
राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति (मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में)
  3. राज्य स्तरीय उप समिति (परिशिष्ट-5)  
राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति(सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में)
  4. बोर्ड स्तर पर- (परिशिष्ट-6)  
People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति (सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में)
6. प्रदेश में व्यापक स्तर पर संपन्न लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण कार्य का कार्य Quality Evaluation Monitoring हेतु उपरोक्त समितियों गठन किया गया है। इस उद्देश्य से इन समितियों की बैठक के पूर्व बोर्ड स्तर पर गठित विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति द्वारा बैठक में लोक जैवविविधता

52

पंजी में निर्धारित प्रपत्र में संकलित सेकण्डरी डाटा का तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण इस बैठक में किया जा रहा है।

7. डॉ. बकुल लाड, सहायक सदस्य सचिव (सी एण्ड डी) म.प्र. राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण (People's Biodiversity Register- PBR) निर्माण की प्रक्रिया को विशेषज्ञों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बैठक में सहायक सदस्य सचिव, डॉ. बकुल लाड द्वारा प्रदेश में Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के संबंध में निम्न बिंदुओं पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
- 7.1 लोक जैवविविधता पंजी निर्माण के प्रपत्र एवं अध्याय— राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण द्वारा के प्रपत्रों के अनुरूप ही मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दो भाषाओं Bilingual (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रपत्र तैयार किये गये। इन प्रपत्रों का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रपत्रों को निम्नानुसार अध्यायों में वर्गीकृत किया गया है—

लोक जैवविविधता पंजी के अध्याय

Chapter No	Name of Chapter
1	General Information
2	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil
3	Forest Biodiversity
4	Agro Biodiversity
5	Aquatic Biodiversity
6	Traditional Knowledge
7	Access Benefit Sharing (ABS)

- 7.2 सदस्यों को अवगत कराया गया कि समस्त Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य माह मई से 10 जुलाई 2020 तक की अवधि में किया गया है।
- 7.3 राज्य स्तरीय प्रयास – समिति सदस्यों को राज्य स्तर से शासन, विभाग तथा बोर्ड द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु किये गये प्रयासों से अवगत कराया गया।
- 7.3.1 दिशानिर्देश— जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों के लिए प्रमुख, सचिव, वन विभाग द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु विशेष दिशानिर्देश जारी किये गये।
- 7.3.2 विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग— वन विभाग, बार्ड द्वारा एवं पंचायत विभाग द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का विशेष आयोजन कर मैदानी जिला स्तर के वन एवं जिला पंचायत के अधिकारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया गया।

83

7.3.3 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल में State level PBR Preparation Cell (Special Task Force- PBR) का गठन किया गया है। सेल में बोर्ड द्वारा 6 तकनीकी विशेषज्ञ एवं 1 यूएनडीपी इन्टर्न को लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में तकनीकी सहयोग प्रदान करने हेतु सेवा प्राप्त की गई है। प्रकोष्ठ के सदस्य निम्नानुसार है, जो कि जैवविविधता आधारित भिन्न विषयों के विशेषज्ञ है—

1. श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
2. डॉ. बकुल लाड़, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
3. डॉ. एलिजाबेथ थॉमस, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
4. डॉ. कुनिका सिलोदिया, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
5. डॉ. गौरव सिंह, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
6. श्री प्रखर गुप्ता, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
7. श्री विजेश हरियाले, तकनीकी विशेषज्ञ, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
8. श्री शुभम सिंह पंकज, (UNDP-Intern) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
9. श्री प्रकाश मेहता, तकनीकी विशेषज्ञ— मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
10. श्री पियूष जाधम, तकनीकी विशेषज्ञ—डाटा, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।

7.3.4 जनपद पंचायत स्तर के एवं नगरीय निकाय के मानचित्र M.P. Council of Science & Technology Bhopal (MAPCOST, Bhopal) के सहयोग से प्राप्त किये गये। मानचित्रों के आधार पर लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में निकाय स्तर पर वन क्षेत्र एवं जल संरचनाओं के आधार पर सेकंडरी डाटा तैयार किया गया।

7.3.5 डाटा बैंक— बोर्ड द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त सेकंडरी डाटा को संकलित कर डाटा बैंक तैयार किया गया। डाटा बैंक में जिले वार तथा विभाग वार सेकंडरी डाटा तैयार किया गया है। इस डाटा बैंक में उपलब्ध डाटा से लोक जैवविविधता पंजी के प्रपत्रों के अनुसार डाटा प्राप्त कर पंजी का निर्माण किया गया।

7.4 जिला स्तर पर प्रयास – राज्य स्तरीय निर्देशों के पालन में जिला स्तर से लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में सहयोग प्रदान किया गया है।

7.4.1 जिला स्तर पर नोडल अधिकारी— जिला स्तर पर लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु स्थानीय जैवविविधता से सरोकार रखने वाले विभागों से समन्वय स्थापित कर सेकंडरी डाटा एकत्रित करने हेतु पंचायत स्तर के लिये जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत तथा जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के लिये नोडल अधिकारी बनाये गये।

7.4.2 तकनीकी समर्थन समूह— जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित तकनीकी समर्थन समूह द्वारा लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में मैदानी विभागों के सेकंडरी डाटा प्राप्त करने में सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया।

7.5 पंजी निर्माण की प्रक्रिया— डा. बकुल लाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि लोक जैवविविधता पंजी के अध्याय को डाटा संकलन हेतु दो भागों में विभक्त किया गया।

Chapter No	Name of Chapter	Chapters Segregated for Secondary data collection
1	General Information	<b>Part-1</b> General information
2	Peoplescape, Landscape, Waterscape and Soil	
3	Forest Biodiversity	<b>Part-2</b> Biodiversity- Sector specific information.
4	Agro Biodiversity	
5	Aquatic Biodiversity	
6	Traditional Knowledge	
7	Access Benefit Sharing (ABS)	

- 7.5.1 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-1 के अध्यायों के लिये National Population Register (NPR) 2011 से डाटा प्राप्त किया गया। जिसमें Geographical area (Hact./ Sq Km), Total House holds, Total population, Total population of male and female, Water resources (Status) Well, handpumps, tubewell/ borewell, Spring, River/ Canal, Pond/ lake/tank, Nine fold Land classification (Hactares) का डाटा प्राप्त किया गया। इसके साथ ही के Soil type लिये Department Farmers Welfare and Agriculture Development Govt of MP- का डाटा प्राप्त किया गया।
- 7.5.2 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-1 के अध्यायों के लिये प्रत्येक स्थानीय निकाय की जैवविधिता प्रबंधन समिति के लिये Unique ID तैयार कर डाटा प्राप्त किया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय हेतु पार्ट- के अध्यायों के लिये जानकारी पृथक-पृथक हैं।
- 7.5.3 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के अध्यायों के लिये प्रत्येक जिले के लिये के लिये Master file तैयार की गई। इसका मुख्य कारण यह है कि सेकंडरी डाटा की उपलब्धता एक जिले में स्थित स्थानीय निकाय पर Replicate होती है।
- 7.5.4 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये 52 जिलों को 20 मास्टर फाईल तैयार की गई। मास्टर फाईल तैयार करने हेतु निम्नानुसार आधार लिया गया।
- Agro-climatic zone based districts clusters- 11 Agro-climatic regions and 5 crop zones.
  - River Basin base districts clusters- Districts are divided according to 11 river basins.
  - Soil type based districts clusters- Districts are divided according to four soil type.

- d- Google Earth Map- habitat estimation vegetation and water bodies.
- 7.5.5 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये ग्राम पंचायत स्तर के लिये मानचित्रों के आधार पर निम्नानुसार ग्राम पंचायत को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है।
- Sets of combination at local body clusters
  - Local body has only agriculture biodiversity
  - Local body has agriculture and forest biodiversity
  - Local body has agriculture and aquatic biodiversity
  - Local body has agriculture, forest and aquatic biodiversity
- 7.5.6 मास्टर फाईल में वन विभाग के वर्किंग प्लान, कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, पशुपालन विभाग, तथा मत्स्य पालन विभाग से उनसे संबंधित जैवविधिता का सेकंडरी डाटा प्राप्त किया गया। इसके साथ ही जनपद पंचायत स्तर पर विद्यालयों तथा महाविद्यालयों द्वारा संकलित सेकंडरी डाटा भी प्राप्त किया गया। इसके साथ ही बोर्ड द्वारा पूर्व में तैयार किये गये 890 लोक जैवविधिता पंजी से भी सेकंडरी डाटा प्राप्त किये गये।
- 7.5.7 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये जलीय जैवविधिता हेतु Aquatic Biodiversity- Districts wise segregated River basin data (Aquatic species details) used की जानकारी को उपयोग में लाया गया। इसके साथ ही Traditional Knowledge के अध्याय के लिये जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। अध्याय Access Benefit Sharing (ABS)- के प्रपत्रों के लिये बोर्ड स्तर पर उपलब्ध डाटा को प्राप्त किया गया है।
- 7.5.8 लोक जैवविधिता पंजी के पार्ट-2 के लिये तैयार की गई मास्टर फाईल के डाटा को संबंधित जिलों के सेकंडरी डाटा के लिये Data Source file के रूप में उपयोग में लाया गया। इसके आधार पर जिलों के पार्ट-2 अध्यायों के सेकंडरी डाटा तैयार किया गया।
- 7.5.9 संपूर्ण लोक जैवविधिता पंजी स्थानीय निकाय के यूआईडी नंबर के आधार पर पार्ट-1 तथा उस जिले के पार्ट-2 के डाटा को एक साथ जोड़कर उस स्थानीय निकाय की एक लोक जैवविधिता पंजी तैयार की गई है।
8. लोक जैवविधिता पंजी का प्रस्तुतीकरण – बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा समिति के समक्ष बोर्ड प्रत्येक स्थानीय निकाय जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत तथा नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिका, तथा नगर परिषद स्तर की तैयार की गई लोक जैवविधिता पंजी का अध्यायों के प्रपत्रों में संकलित जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया।
9. समिति सदस्यों के सुझाव- उपरोक्त प्रस्तुतीकरण के आधार पर विषय विशेषज्ञ समिति के सदस्यों द्वारा निम्नलिखित सुझाव से अवगत कराया गया-
- 9.1.1 समिति के श्री सुदेश बाघमारे द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में 23557 स्थानीय निकाय पर लोक जैवविधिता पंजी का निर्माण कार्य जटील कार्य था। इस कार्य को पीबीआर फॉर्मेट में डिजिटल रूप से संकलित कर सेकण्डरी डाटा के आधार पर

50


- डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य व्यापक स्तर पर सुव्यवस्थित किया गया है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पंजी की हिंदी शब्दावली में सुधार किया जाये। जैसे अस्वीकरण एवं जनदृश्य जैसे शब्दों को प्रपत्रों से हटाना चाहिए।
- 9.1.2 समिति के सदस्य श्री विपिन व्यास द्वारा सुझाव दिया गया कि जलीय जैवविविधता के अध्याय में ऐसे स्थानीय निकाय जहां की सेकंडरी डाटा उपलब्ध नहीं है उन्हें चिन्हित कर विशेषज्ञों की सहायता से संकलित करे। उन्होंने अवगत कराया पंजी में जानकारी को समावेश करने की प्रक्रिया निरंतर रहेगी। जिससे की पंजी की जानकारी निरंतर अपडेट होती रहेगी।
- 9.1.3 समिति सदस्य डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना द्वारा सुझाव दिया गया कि जलीय जैवविविधता के अध्याय में बोर्ड के द्वारा संकलित जिलेवार डाटा में मत्स्य की प्रजातियों की सूची, तथा रिह्वर बेसिन अनुसार जलीय जैवविविधता के अध्याय हेतु बोर्ड के डाटा बैंक के लिये उनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी। तदनुसार पंजी को अद्यतन किया जाना उचित होगा जो कि बोर्ड स्तर अथवा स्थानीय निकाय स्तर पर निरंतर प्रक्रिया होगी। मास्टर फाईल को परीक्षण हेतु उन्हें उपलब्ध कराया जाने हेतु बोर्ड को अवगत कराया गया।
- 9.1.4 समिति सदस्य डॉ. माधुरी मोदक द्वारा अवगत कराया गया कि पंजी में वानिकी जैवविविधता की जानकारी अत्यधिक है। इस हेतु बोर्ड द्वारा तैयार की गई मास्टर फाईल को विषय अनुसार विभक्त कर संबंधित विशेषज्ञों को उपलब्ध कराया जावे। जिससे कि संबंधित विशेषज्ञ अपने क्षेत्र की जानकारी को अपडेट करने हेतु बोर्ड को अवगत कराया जा सके।
- 9.1.5 समिति सदस्य डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र द्वारा जबलपुर से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित हुये। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि पंजी के पारंपरिक ज्ञान के अध्याय में जानकारी का संकलन नहीं किया गया है। उनके द्वारा इस अध्याय को अपडेट किये जाने हेतु आवश्यक जानकारी से बोर्ड को अवगत कराया जावेगा। पंजी में अपडेट किये जाने हेतु उनके द्वारा बोर्ड को सरीसृप एवं उभयचरों की सूची प्रदान की जावेगी।
- 9.1.6 समिति सदस्य डॉ. संगीता राजगीर द्वारा नगरीय निकाय के सीमा में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभ्यारण्य के पक्षी संबंधित डाटा को नगरीय निकाय स्तर की लोक जैवविविधता पंजी से जोड़ने का सुझाव दिया गया। यह जानकारी उनके द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- 9.1.7 समिति सदस्य मों. खालिद द्वारा फील्ड ट्रेनिंग फॉर बर्ड वाच की जानकारी भी पंजी में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा **Avian Biodiversity** की इकोरिजन वार चेकलिस्ट बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
10. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सुझाव—
- 10.1.1 सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को बैठक में मार्गदर्शन एवं सुझाव हेतु विशेष आमंत्रित किया गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि सेकंडरी डाटा के आधार पर तैयार की गई पंजी **Digital and Dynamic** इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है। समिति सदस्यों के सुझावों को पंजी में सम्मिलित कर पंजी को अपडेट किये जाने की कार्यवाही निरंतर की जायेगी। इस हेतु समिति सदस्यों का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त किया जायेगा।

- 10.1.2 सदस्य सचिव द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों को निर्देशित किया गया कि जैवविविधता प्रबंधन समिति के सदस्यों के विवरण प्रपत्रों में उपलब्ध आवश्यक जानकारी को पंजी में समावेश करे अद्यतन करे।
- 10.1.3 समिति सदस्य श्री सुदेश बाघमारे से भोपाल स्थित वनविहार की प्रबंधन योजना बोर्ड को उपलब्ध करवाने हेतु अवगत कराया गया। जिससे कि भोपाल नगरीय निकाय स्तर की लोक जैवविविधता पंजी में नगरीय निकाय स्तर की जानकारी को अपडेट किया जा सके।
- 10.1.4 सदस्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि पंजी की जानकारी के आधार पर ही उस स्थानीय निकाय की जैवविविधता प्रबंधन योजना तैयार होगी इस कारण पंजी में मास्टर फाईल के आधार पर replicate की कार्यवाही में उस निकाय की क्षेत्र विशेष जानकारी का पृथक से संकलन कर चेक लिस्ट के माध्यम से पंजी को अद्यतन करने की कार्यवाही करे।
- 10.1.5 सदस्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि समिति के सुझावों के साथ विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन दिनांक 24.07.2020 को प्रातः 11.30 बजे की जावे।

## 11. समिति द्वारा अनुमोदन –

प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत तथा नगरीय निकाय) पर सेकण्डरी डाटा के आधार पर तैयार की गई डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को निरंतर अपडेट किया जावे। लोक जैवविविधता पंजी निर्माण में अपनाई गई प्रक्रियां तथा तथा संकलित डाटा की गुणवत्ता का विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति की बैठक समिति द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन किया गया।


अंत में बार्ड द्वारा धन्यवाद ज्ञापन कर बैठक समाप्त की गई।

  
(श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति)  
सदस्य सचिव

पृ.क्रमांक/जैविबो/स.स.स(सी.एण्ड.डी.)/2019-20/2294 भोपाल,दिनांक 23/07/2020

प्रतिलिपि:--

1. समस्त सदस्य, विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल (म.प्र.)
2. समस्त सहायक सदस्य सचिव, (प्रशा. एवं वित्त/सी एण्ड डी/बायो.) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)
3. समस्त, तकनीकी विशेषज्ञ – पीबी.आर. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

  
सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

88

भोपाल, दिनांक 08 जून 2020  
४

// आदेश //

क्रमांक-1281/1746/2019/18-2 : देश की प्रचुर जैव विविधता के संरक्षण/संवहनीय उपयोग एवं उपयोग से प्राप्त लाभों के समुचित बंटवारे की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम, 2002 अधिसूचित किया गया है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 अधिसूचित किया गया है। मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 के परिपालन में नगर पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति ( Biodiversity Managment Committee) का गठन किया जाना है।

मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम 2004 के नियम 23 (1) के अनुसार स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन तक राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश जैव विविधता नियम, 2004 के नियम 23 (2) के अनुसार नगर पालिका/नगर परिषद की पी.आई.सी. (अध्यक्षीय परिषद) तथा नगर निगम की एम.आई.सी. (महापौर परिषद) को जैव विविधता प्रबंधन समिति का कार्य करने के लिए नामांकित करता है।



मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

*Amith*  
(डॉ. अमिताभ अवस्थी) 08/06/2020

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

पृ.क्र. 1282/1746/2019/18-2  
प्रतिलिपि-

भोपाल दिनांक 06 जून 2020  
४

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड, 26 प्रथम तल किसान भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, मध्यप्रदेश।
5. समस्त आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मध्यप्रदेश, नगर पालिक निगम/नगर पालिका /नगर पालिका परिषद की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

*Handwritten signature/initials*  
BMC

म. प्र. राज्य जैवविविधता बो.
शाखा - ...AMS... (6.2.10)...
टी.एल. - .....
निर्देश - .....
सदस्य सचिव

*Amith*  
उप सचिव 08/06/2020

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

3-6-2020

89

मध्यप्रदेश शासन  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 04.06.2020

क्रमांक 867/पं.रा./एफ-1- /2020 जैवविविधता अधिनियम 2002 की धारा 41 एवं म.प्र. जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 23 के प्रावधान अनुसार प्रदेश में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जाना प्रावधानित है। इसी परिप्रेक्ष्य में एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि ऐसी पंचायत जहां पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया जा सका, वहां प्रशासकीय समिति जैवविविधता प्रबंधन समिति के रूप में तब तक कार्य करेगी जब तक कि पंचायत का गठन नहीं हो जाता। जो पंचायतें वर्तमान में अस्तित्व में हैं किन्तु अपने स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर सकी हैं, वे पंचायतें तत्काल प्रभाव से अंतर्ग्राम रूप से जैवविविधता प्रबंधन समिति के कर्तव्यों का निर्वहन तब तक करेंगी जब तक कि विधिवत संपूर्ण जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर लेती।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
04-7-2020  
(एस.आर.चौधरी)  
उप सचिव

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 04.06.2020

पृ0क्रमांक 368/पं.रा./एफ-1- /2020  
प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन वन विभाग मंत्रालय भोपाल।
  2. सदस्य सचिव, म.प्र.राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल।
  3. संचालक, पंचायत राज संचालनालय, भोपाल।
  4. संभागायुक्त, समस्त, मध्यप्रदेश।
  5. कलेक्टर, जिला समस्त म.प्र.।
  6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त, म.प्र.।
  7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
04-7-2020  
उप सचिव  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग  
मध्यप्रदेश, भोपाल





# National Biodiversity Authority

राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण

(A Statutory body of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India)

+91 44 2254 2777 - 1075  
+91 44 2254 1200  
www.nbaindia.org

5<sup>th</sup> Floor, CSIR Road, TICEL Bio Park,  
Easaman, Chennai - 600 113, Tamil Nadu, India.  
5 वा तल, सीएसआईआर रोड, टाइकल बायो पार्क,  
तामिलनाडु, चेन्नई - 600113, तमिल नाडु, भारत



No. NBA/15/30/2019/SBB/NGT

Dated 20.01.2020

## OFFICE MEMORANDUM

- Sub:** Constitution of Monitoring Committee for overseeing the quality of People's Biodiversity Registers (PBRs) by evolving a suitable mechanism – regarding
- Ref:** Office Memorandum No. C-12027/6/2016-CS III dated 15/01/2020 of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change, CS-III (Biodiversity) Division.

Section 41(1) of the Biological Diversity Act, 2002 states that, "Every local body shall constitute a Biodiversity Management Committee within its area for the purpose of promoting conservation, sustainable use and documentation of biological diversity including preservation of habitats, conservation of land races, folk varieties and cultivars, domesticated stocks and breeds of animals and microorganisms and chronicling of knowledge relating to biological diversity."

2. As per Rule 22(6) of the Biological Diversity Rules, 2004, the main function of the Biodiversity Management Committee is to prepare People's Biodiversity Register in consultation with local people. The Register shall contain comprehensive information on availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use or any other traditional knowledge associated with them. The People's Biodiversity Registers shall be maintained and validated by the Bio-diversity Management Committee.

3. People's Biodiversity Registers (PBRs)) are statutory technical documents that capture all the details of biological resources and associated knowledge available in the jurisdiction of the local body. Any person or entity accessing these biological resources or associated knowledge for research / bio-survey / bio-utilization / commercial utilization, are under obligation to share a portion of their benefit to the local communities to help in the conservation and sustainable availability of these resources.

4. Preparation of PBRs require technical expertise at various stages. Compiling and collating the biological resources requires a comprehensive understanding of the subject matter. Therefore, a general awareness is required amongst local bodies for decision making in the use of biological resources available in their jurisdiction.

5. The Principal Bench of the Hon'ble National Green Tribunal vide Order dated 9<sup>th</sup> August 2019 in OA No. 347 of 2016 had issued instructions to constitute a monitoring Committee to oversee the quality of PBRs on sample basis by evolving a suitable mechanism.

91

6. Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide Office Memorandum referred above, has authorized the National Biodiversity Authority to constitute two Committees which will monitor the quality of PBRs.

7. Accordingly, the following Committees are being constituted as below:-

**A. Monitoring Committee – I** for States / Union Territories – Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra, Gujarat, Telangana, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Odisha, Goa, Andaman and Nicobar, Dadar and Nagar Haveli, Diu and Daman, Lakshadweep and Puducherry is as below:

S.No.	Name	Designation / Organisation	Chairperson / Members
1	Dr. S.K. Khanduri	Ex-PCCF, Kerala	Chairperson
2	Dr. Joseph Bagyaraj	Microbiologist and Honorary Scientist	Member
3	Dr. Oomen V Oomen	Ex -Chairman, SBB, Kerala	Member
4	Dr. D. Narasimhan	Retd. Professor, Madras Christian College	Member
5	Dr. Ramakrishna	Ex-Director, ZSI	Member
6	Dr. V.G. Malathi	Ex-Principal Scientist, ICAR	Member

**B. Monitoring Committee – II** for States / Union Territories – Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Himachal Pradesh, Jharkhand, Manipur, Mizoram, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal, Chandigarh, Delhi, Jammu and Kashmir and Ladakh is as below:


S.No.	Name	Designation / Organisation	Chairperson / Members
1	Dr.R.B.S. Rawat	Ex-PCCF, Uttarakhand	Chairperson
2	Dr. A.K. Gupta	Ex- PCCF, Tripura	Member
3	Shri R.R. Shukla	Ex-PCCF, Kerala	Member
4	Shri Arakkal Ashraf	Ex-PCCF and Ex Member Secretary, Maharashtra SBB	Member
5	Dr. P.K. Singh	Principal Scientist, National Bureau of Animal Genetic Resources	Member
6	Dr. M. Sanjappa	Ex-Director, BSI	Member
7	Dr. Neelima Jerath	Ex-Member Secretary, Punjab SBB & DG, Science City, Kapurthala	Member

8. The Secretary, NBA would serve as Member Secretary for both the committees.

9. The Monitoring Committees would have the following terms of reference:

02

- i. To oversee the quality of PBRs on sample basis by evolving a suitable mechanism;
  - ii. To interact with relevant stakeholders who are involved in the preparation of PBRs or as it deems fit;
  - iii. To submit report to NBA every three months. The first report is to be submitted on or before 31<sup>st</sup> March 2020;
10. The tenure of the Committee shall be for a period of two years from the date of its constitution. The NBA may amend the TORs, if required.
11. The guidelines for the Committee shall be as referred to in Annexure I.
12. This issues with the approval of the competent authority.

  
(J.JUSTIN MOHAN, IFS)

Secretary, National Biodiversity Authority.

To

1. All Members of the Committee (as per Annexure II)
2. All Chairman's of State Biodiversity Boards
3. All Member Secretaries of State Biodiversity Boards
4. Private Secretary to Chairman, NBA
5. Administrative Officer, NBA
6. Accounts Officer, NBA
7. Guard File

93

## ANNEXURE - I

### GUIDELINES

The following guidelines are issued for proper conduct of the meeting to achieve the expected outcomes.

1. Committees are being constituted mainly to advise NBA on technical, techno-legal, administrative, scientific, statutory and miscellaneous matters. The role of the Committee is more or less similar to that of '*Amicus Curiae*' in the Court of Law.
2. Chairman/Member Secretary of the Committee are empowered to invite/seek opinion of experts/special invitees, academicians and others as they deem fit.
3. The Chairman and members are requested to kindly make it convenient to attend the meeting at the fixed venue and time. The NBA / State Biodiversity Board (SBB) will arrange transport from Airport / Railway station / bus stand to and from the venue of the meeting.
4. The travel of cost by Air (Air India - economy class) / train (AC-II Tier) / road mileage etc., incurred by the Chairman and the members / invitees will be reimbursed on production of the tickets / boarding pass along with bills in the prescribed format provided by NBA/SBB. The lodging and boarding will be provided by the NBA/SBB.
5. As per the directions issued by the Ministry of Finance vide O.M. no. No.19024/2212017-E. IV, dated 19<sup>th</sup> July, 2017, the Members are required to purchase the ticket from three authorized travel agents viz. M/s Balmer Lawrie & Company limited (BLCL), M/s Ashok Travels & Tours (ATT) and Indian Railways Catering and Tourism Corporation Ltd. (IRCTC), or tickets may be booked directly from the Airlines.
6. The Chairman of the committee is entitled for an amount of Rs.6000/- as sitting fee per day. Members and other invitees are entitled for an amount of Rs.4000/- as sitting fee per day.
7. As per OM. No. 19047/10/2016-E-IV dt 12/4/2017 issued by Ministry of Finance, non-official members alone are entitled to draw sitting fees for attending the meetings of the Expert Committee. The definition of Non-official members as per OM are as follows: "*For the purpose of grant of sitting fee only such persons are to be considered as non-officials who are not employed in any institution / organisation / body funded by the Central Government*".
8. The committee is requested to submit a quarterly report to the NBA duly authenticated by all the members. The NBA in turn shall furnish the report to the MoEF&CC. In

94

order to finalize and submit the report, a lump sum of Rs.5,000/- will be paid to the Chairman per quarter, to meet the postal expenses, mobile, internet charges and cost of secretarial assistance at his place of stay on request. For payment of lump sum, a self-declared certificate to the effect that the expenditure has been incurred for the above purpose has to be furnished by the Chairman.

9. The committee shall oversee the PBR preparation in accordance with the provisions of the Biological Diversity Act, 2002 and the Rules / Regulations / Guidelines framed thereunder.
  
10. The Chairman and members shall exchange notes and views on the subject matter to be discussed during the meeting / field visit. Given the sensitivity and nature of deliberations of the Committee, members are requested not to engage in any bilateral discussion with non-members regarding the subject matter.

X-X-X

95

ANNEXURE – II

1	Dr. S.K. Khanduri, 409, Nilaya Hills, Haridwar Bypass, Dehradun 248001, Uttarakhand. Tel: 9871800409; <a href="mailto:skhanduri57@gmail.com">skhanduri57@gmail.com</a>
2	Dr. R.B.S. Rawat, 188/1 Doon Valley Officers Society, Vasant Vihar, Dehradun 248006, Uttarakhand. Tel: 9412051550; <a href="mailto:raghubir226@gmail.com">raghubir226@gmail.com</a>
3	Shri R.R. Shukla, 107/112 (A) Jawahar Nagar, Kanpur-208012, Uttar Pradesh. Tel: 91 9895076129; <a href="mailto:rrskerela@yahoo.co.in">rrskerela@yahoo.co.in</a>
4	Dr. A.K. Gupta, Senior Professional Fellow, Wildlife Institute of India, P. O. Box #18 Chandrabani, Dehradun 248001, Uttarakhand. Tel: 94364 50822; <a href="mailto:akphayri@gmail.com">akphayri@gmail.com</a>
5	Shri Arakkal Ashra, No-115/116, Swaraj Nagar, Manewada, Nagpur, Maharashtra. Tel: 8208020463   <a href="mailto:ash.arakkal@gmail.com">ash.arakkal@gmail.com</a>
6	Dr. Joseph Bagyaraj, No. 41 RBI Colony, Anand Nagar, Bengaluru, Karnataka. Tel: 91- 9448465368; <a href="mailto:djbagyaraj@gmail.com">djbagyaraj@gmail.com</a>
7	Dr. M. Sanjappa, 502, Block C-7, Kendriya Vihar, Ballari Road, Yelahanka, Bengaluru 560064, Karnataka. Tel: Phone: 080 23330153 Ext.302. Email: <a href="mailto:sanjappam@ymail.com">sanjappam@ymail.com</a>
8	Dr. Ramakrishna, Flat No. 6, Navami Varsha Apartment, Srinivasapura, Opposite JSS Engineering College, Bangalore – 560060, Karnataka. Tel: 7760669210; <a href="mailto:Ramakrishna.zsi@gmail.com">Ramakrishna.zsi@gmail.com</a>
9	Dr. P.K. Singh, E-2, National Bureau of Animal Genetic Resources, GT Road bypass, PO Box-129, Karnal 132001, Haryana. Tel: Ph. 09416411329(M); <a href="mailto:pk Singhmathura@gmail.com">pk Singhmathura@gmail.com</a>
10	Dr. Oomen V Oomen, GRA E-77, Gandhipuram, Sreekaryam, Trivandrum 695017, Kerala. Tel: 9447728940 Email: <a href="mailto:oommenvo@gmail.com">oommenvo@gmail.com</a> ,
11	Dr. V.G. Malathi, Sreekumaran Hill Crest Apartment, CKS Avenue, Thondamuthur, Coimbatore 641046, Tamil Nadu. Tel: 8110996093; <a href="mailto:vgmalathi@rediffmail.com">vgmalathi@rediffmail.com</a>
12	Dr. Neelima Jerath, Director General, Pushpa Gujral Science City, Jalandhar-Kapurthala Road, Kapurthala, Punjab. Mob: 7087032265 / 9417555857; <a href="mailto:neelimakj@yahoo.co.uk">neelimakj@yahoo.co.uk</a>
13	Dr. D. Narasimhan, No. 5, Santhana Lakshmi Street, Rajeswari Nagar Selaiyur, Chennai-600 073, Tamil Nadu. Mobile: 98402 31967; <a href="mailto:narasimhand@gmail.com">narasimhand@gmail.com</a>

मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय  
मल्लाभ भवन, भोपाल-462004

95

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 28 मई, 2020

कमांक एफ 19-31/2020/1/4 :: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) नई दिल्ली के प्रकरण कमांक 347/2016 श्री चन्द्रमाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 की सतत समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग	सदस्य
4	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश	सदस्य
6	सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य सचिव

2/ उक्त समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत Biodiversity Management Committees (BMC) का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framework का उपयोग कर लोक जैव विविधता पंजी (PBRs) के निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परिक्षण करना और राष्ट्रीय स्तर पर उक्त कार्य हेतु बनी समिति को सहयोग करना रहेगा।

3/ समिति की बैठक माह में एक बार अवश्य आयोजित की जावेगी।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
( डी. के. नागन्द )  
उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
सामान्य प्रशासन विभाग

पू. कमांक एफ 16-31/2020/1/4

भोपाल, दिनांक 28 मई, 2020

प्रतिलिपि:-

1. समिति के अध्यक्ष/सदस्य/सदस्य सचिव।
  2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
  3. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल।
  4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर उनकी नस्ती सहित प्रस्तुत।
  5. उपसंचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय भोपाल।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



उप सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

97

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24/06/2020

क्रमांक आर 704/2542/2019/10-2 :: माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक/347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09-08-2019 व 18-03-2020 की सतत समीक्षा हेतु मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ-19-31/2020/1/4 दिनांक 29-05-2020 द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का गठन किया गया है।

2/ राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02-06-2020 में लिये गये निर्णय अनुसार लोक जैव विविधता पंजी की गुणवत्ता को समय-समय पर अनुश्रवण कर वाच्छित गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नानुसार उप समिति का गठन किया जाता है:-

1. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड - अध्यक्ष
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख का प्रतिनिधि - सदस्य
3. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
4. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
5. संचालक, पशुपालन विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
6. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
7. आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
8. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग का प्रतिनिधि - सदस्य
9. सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड - सदस्य सचिव

3/ उप समिति का मुख्य कार्य स्थानीय निकायों द्वारा शत-प्रतिशत जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन सुनिश्चित कराना, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा विकसित PBR Quality Evaluation Framework का उपयोग कर प्रदेश में लोक जैव विविधता पंजी निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण एवं गुणवत्ता का परीक्षण करना और उक्त कार्य में राज्य स्तरीय समिति का सहयोग करना है।

4/ उप समिति के अध्यक्ष समय-समय पर बैठक आहूत करेंगे। कंडिका-2 में उल्लेखित कार्यो के पूर्ण होने तक समिति कार्य करेगी। समिति अपना प्रतिवेदन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

22/6/2020  
(अतुल कुमार मिश्रा)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक आर 705 /2542/2019/10-2

भोपाल, दिनांक 24/06/2020

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
4. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. आयुक्त/संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, अरेरा हिल्स, भोपाल
7. आयुक्त, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, पालिक भवन, 6 नम्बर, भोपाल
8. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल
9. आयुक्त, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी विभाग, विंध्याचल भवन, भोपाल
10. संचालक, पशुपालन विभाग, कामधेनु भवन, वैशाली नगर, भोपाल
11. संचालक, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग, भदभदा रोड, भोपाल
12. सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, किसान भवन, भोपाल
13. सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

22/6/2020  
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग



# MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

## मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

(Statutory, Autonomous and Regulatory Body of Govt. of M. P. | म. प्र. शासन की वैधानिक, स्वायत्त एवं निष्पक्ष संस्था)

क्र./जैविबो/सहा.स.स. (सी.एण्ड.डी)/PBR-39/2020-21/1883 भोपाल दिनांक 18.06.2020

//आदेश//

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली के प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 के पालन में प्रदेश में स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर सेकण्डरी डाटा के आधार पर डिजिटल एण्ड डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लोक जैवविविधता पंजी की गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जाना है। इस हेतु प्रदेश स्तर पर समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति तथा राज्य स्तरीय उप समिति का गठन किया गया है।

इस परिप्रेक्ष्य में लोक जैवविविधता पंजी में निर्धारित प्रपत्र में संकलित सेकण्डरी डाटा का तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाना है। इस उद्देश्य से बोर्ड स्तर पर निम्न विषय-विशेषज्ञों की People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति का गठन किया जाता है-

क्र.	विशेषज्ञ का नाम	पदनाम	
1.	डॉ. बकुल लाड	सहायक सदस्य सचिव, सी.एण्ड.डी मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल	अध्यक्ष
2.	डॉ. सुदेश बाघमारे	(से.नि.) उप वन संरक्षक भोपाल	सदस्य
3.	डॉ. विपिन व्यास	एसोसियेट प्रो. बायोसाइन्स विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल	सदस्य
4.	डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना	सहा. प्राध्यापक, चित्रांश ए.डी.पी.जी. कॉलेज भोपाल	सदस्य
5.	डॉ. माधुरी मोडक	(से.नि.) प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) भोपाल	सदस्य
6.	डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र	वैज्ञानिक -बी, सेंट्रल जोन रिजिनल सेंटर जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इण्डिया	सदस्य
7.	मो. खालिक खॉन	अध्यक्ष, भोपाल बर्ड्स भोपाल	सदस्य
8.	डॉ. संगीता राजगीर	सदस्य सचिव, भोपाल बर्ड्स भोपाल	सदस्य
9.	श्री प्रकश मेहता	तकनीकी विशेषज्ञ, पी.बी.आर, उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड) (मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड में उपस्थिति उपरांत)	सदस्य
10.	श्री सुभम पंकज	यू.एन.डी.पी. इन्टर्न मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल	सदस्य सचिव

लोक जैवविविधता पंजी का तकनीकी रूप से गुणवत्ता का परीक्षण हेतु बोर्ड द्वारा सदस्यों को लोक जैवविविधता पंजी की सॉफ्टकॉपी उपलब्ध कराई जायेगी। सभी सदस्यों को पात्रतानुसार बैठक में सम्मिलित होने हेतु वास्तविक यात्रा प्रतिपूर्ति व मानदेय का भुगतान किया जायेगा।

  
(आर.श्रीनिवास मूर्ति)  
सदस्य सचिव

100

पृष्ठां.पत्र क./जैविबो/सहा.स.स.(सी.एण्ड.डी)/PBR-39/2020-21/1884भोपाल दि.18.06.2020

प्रतिलिपि:-

1. डॉ. बकुल लाड, सहा. स. सचिव, (सी.एण्ड.डी) मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल
2. डॉ. एस.आर. वाघमारे, (से.नि.) उप वन संरक्षक, बी-77 विद्या नगर, भोपाल
3. श्री विपिन व्यास, प्रो. बायोंसाइन्स विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल
4. डॉ. श्रीपर्णा सक्सेना सहा. प्राध्यापक, चित्रांश ए.डी.पी.जी. कॉलेज भोपाल
5. श्रीमती माधुरी मोडक, डी-5/103, रुद्राक्ष पार्क फेस-2, शाहपुरा थाना के पास, भोपाल
6. डॉ. पी. प्रत्यूष महापात्र, 168-169, एस.बी.आई. चौक, कृषि मण्डी, विजय नगर, जबलपुर
7. मो. खालिक खॉन, 30, सलेहा परिसर, फेश -2 पिपलानी भोपाल
8. श्रीमती संगीता राजगीर, एम-16, शास्त्रीनगर कॉलोनी, टी.टी. नगर भोपाल
9. श्री सुभम पंकज, यू.एन.डी.पी. इन्टर्न मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल
10. श्री प्रकाश मेहता तक. विशेषज्ञ,पी.बी.आर, उत्तराखण्ड जैवविविधता बोर्ड देहरादून (उत्तराखण्ड)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

dlc   
सदस्य सचिव

## Madhya Pradesh State Biodiversity Board, Bhopal (MP)

**Present Status of BMC formation** (Updated on 10.07.2020)

S.No.	Local Body	Level	Total no of local body *	No of BMCs Constituted
1	Panchayat	Zila Panchayat	52	52
		Block/Janpad Panchayat	313	313
		Gram Panchayat	22814	22814
		<b>Total</b>	<b>23179</b>	<b>23179</b>
2	Nagar Nikay	Nagar Nigam	16	16
		Nagar Palika	98	98
		Nagar Parishad	264	264
		<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Grand Total</b>			<b>23557 *</b>	<b>23557 **</b>

\* The present status of total local body has now changed from 23617 to 23557 because of change of boundries (Parisiman)

\*\* As on date 100 percent BMCs are constituted

**Note-**

1. As per the amendment in MP Biological Diversity Rules, 2004- Rule 23 (2) total no of 13718 JFMC cum BMCs have been constituted at Gram Sabha level by Forest Department
2. As per order of Department of Urban Development, Govt of MP dated 8 June 2020 PIC of council (Chairmen of council) of Nagar Palika and Nagar Parishad and MIC (Mahapor of council) of Nagar Nigam are nominated for functioning of BMCs at all urban body level in the state. (**Annexure-1**)
3. As per order of Department of Panchayat and Rural Development, Govt of MP dated 4 July 2020 all administrative committee (Where local body Panchayat dissolved) and Panchayat ( Panchayat level where BMCs have not constituted) have been ordered for performing BMCs responsibilities. (**Annexure-2**)



डॉ. बकुल लाड  
सहायक सदस्य सचिव  
(सी. एण्ड. डी)  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल

## Madhya Pradesh State Biodiversity Board, Bhopal (MP)

## Present Status of PBR preparation (Updated on 10.07.2020)

S.No.	Local Body	Level	Total no of local body	No of digital and dyanamic PBR prepared *
1	Panchayat	Zila Panchayat	52	52
		Janpad Panchayat	313	313
		Gram Panchayat	22814	22814
		<b>Total</b>	<b>23179</b>	<b>23179</b>
2	Nagar Nikay	Nagar Nigam	16	16
		Nagar Palika	98	98
		Nagar Parishad	264	264
		<b>Total</b>	<b>378</b>	<b>378</b>
<b>Grand Total</b>			<b>23557</b>	<b>23557 **</b>

\* Digital and dyanamic base PBR have been prepared with secondary data. Secondary data received from line departments and local body.

\*\* As on date 100 percent Digital and dyanamic PBRs are completed.

  
 डॉ. बकुल लाड  
 सहायक सदस्य सचिव  
 (सी. एण्ड. डी)  
 मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता आयोग, भोपाल

103

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)

परिश्रमण प्रस्ताव  
(Agenda for Circulation)

**विषय** – प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय (पंचायत तथा नगरीय निकाय) स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन कार्य तथा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का अनुमोदन बाबत ।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 को प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य शत-प्रतिशत किया जाना का निर्णय पारित किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) के उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई के दिशानिर्देश अनुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 17 वीं बोर्ड बैठक (दिनांक 02.06.2020) के निर्णय के पालन में प्रदेश में समितियों के गठन की कार्यवाही की गई-

- 1/ राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का गठन किया गया है (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश- परिशिष्ट-1)।
- 2/ राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति का गठन किया गया है (वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश- परिशिष्ट-2) ।
- 3/ बोर्ड स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति परिशिष्ट-3)।

प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण प्रक्रिया एवं समितियों की बैठक कार्यवाही निम्नानुसार है-

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन की प्रक्रियाएं-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में समस्त पंचायत स्तर की स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन हेतु आदेश जारी किया गया है। जिसमें अंतरिम रूप से प्रशासकीय समितियों को एवं पंचायतों को जैवविविधता प्रबंधन समितियों के कर्तव्यों निर्वहन हेतु आदेशित किया गया है परिशिष्ट-4)। ✓

(2)

नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रदेश में समस्त नगरीय निकाय स्तर पर (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन हेतु नगर निगम के एम.आई.सी. तथा नगर पालिका/नगर परिषद की पी.आई.सी को जैवविविधता प्रबंधन समिति के कार्य हेतु नामांकित किया गया है (परिशिष्ट-5)।

## 2. लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण की प्रक्रियां –

प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उनके अंतर्गत आने वाली समस्त स्थानीय निकायों पंचायत (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) तथा नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

जैवविविधता से संबंधित विभागों के मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय पर स्थित संस्थाओं द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति को सेकंडरी डाटा उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही पंजी के प्रपत्रों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार तथा म.प्र.शासन के विभागों की वेबसाईट व अन्य स्रोतों से सेकंडरी डाटा प्राप्त किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को पंजी निर्माण कार्य में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है। प्रदेश में डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रियां संलग्न है (परिशिष्ट-6)। ✓

## 3. People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति एवं बोर्ड स्तर की Technical Screening समिति की बैठक कार्यवाही –

जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का अनुश्रवण, गुणवत्ता का परीक्षण कार्य में राज्य स्तरीय समिति को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शासन स्तर से राज्य स्तरीय उप समिति एवं बोर्ड स्तर से Technical Screening समिति की बैठक का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड कार्यालय में दिनांक 17.07.2020 को किया गया।

राज्य स्तरीय उप समिति तथा बोर्ड स्तर पर गठित Technical Screening समिति द्वारा बैठक में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण का गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुश्रवण तथा प्रगति एवं प्रक्रिया की समीक्षा की गई। People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति (परिशिष्ट-7) एवं बोर्ड स्तर की Technical Screening समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-8)।

राज्य स्तरीय उप समिति एवं बोर्ड स्तर की समिति द्वारा पंजी में आंशिक संशोधन के सुझाव दिये गये। समिति के सुझावों को सम्मिलित करते हुये डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को संशोधित/अद्यतन किया गया है।

राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति एवं बोर्ड स्तर की Technical Screening समिति द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की प्रक्रिया तथा उपलब्धि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।


**प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की उपलब्धि निम्नानुसार है-**

1. **जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन-** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा उनके अंतर्गत आने वाली स्थानीय निकायों को जैवविविधता प्रबंधन समिति के कर्तव्यों का निर्वहन करने संबंधित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में समस्त पंचायत एवं नगरीय निकायों पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का शत-प्रतिशत पूर्ण है। जैवविविधता प्रबंधन समिति के शत-प्रतिशत गठन का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-9)।
2. **लोक जैवविविधता पंजी निर्माण-** पंचायत (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) तथा नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) स्तर पर डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण की शत प्रतिशत उपलब्धि का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-10)।

106

अतः उपरोक्तानुसार प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय (पंचायत तथा नगरीय निकाय) स्तर पर शत-प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन कार्य तथा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का Quality Evaluation Monitoring कार्य का अनुमोदन परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना है।

इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति द्वारा परीभ्रमण से अनुमोदन प्रस्तावित है।



सदस्य सचिव

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

दिनांक .....

उपरोक्तानुसार परिभ्रमण प्रस्ताव अनुमोदित--



मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन



अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग



प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग



प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवस्य विभाग



प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
एवं वन बल प्रमुख  
मध्यप्रदेश



सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल (म.प्र.)

परिभ्रमण प्रस्ताव  
(Agenda for Circulation)

**विषय** – प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय (पंचायत तथा नगरीय निकाय) स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन कार्य तथा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का अनुमोदन बाबत ।

माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) नई दिल्ली द्वारा प्रकरण क्रमांक 347/2016 श्री चन्द्रभाल सिंह विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 09.08.2019 व 18.03.2020 को प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर (पंचायत एवं नगरीय निकाय) पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य शत-प्रतिशत किया जाना का निर्णय पारित किया गया है। माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं (एन.जी.टी) के उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण चैन्नई के दिशानिर्देश अनुसार एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 17 वीं बोर्ड बैठक (दिनांक 02.06.2020) के निर्णय के पालन में प्रदेश में समितियों के गठन की कार्यवाही की गई-

- 1/ राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति का गठन किया गया है (सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश- (परिशिष्ट-1)।
- 2/ राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति का गठन किया गया है (वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन का आदेश- परिशिष्ट-2)।
- 3/ बोर्ड स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Technical Screening समिति (परिशिष्ट-3)।

प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण प्रक्रिया एवं समितियों की बैठक कार्यवाही निम्नानुसार है-

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन की प्रक्रिया-

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रदेश में समस्त पंचायत स्तर की स्थानीय निकायों (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन हेतु आदेश जारी किया गया है। जिसमें अंतरिम रूप से प्रशासकीय समितियों को एवं पंचायतों को जैवविविधता प्रबंधन समितियों के कर्तव्यों निर्वहन हेतु आदेशित किया गया है (परिशिष्ट-4)।

नगरीय विकास विभाग द्वारा प्रदेश में समस्त नगरीय निकाय स्तर पर (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन हेतु नगर निगम के एम.आई.सी. तथा नगर पालिका/नगर परिषद की पी.आई.सी को जैवविविधता प्रबंधन समिति के कार्य हेतु नामांकित किया गया है (परिशिष्ट-5)।

## 2. लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण की प्रक्रियाएं –

प्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा उनके अंतर्गत आने वाली समस्त स्थानीय निकायों पंचायत (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) तथा नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) स्तर पर जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण किया गया है।

जैवविविधता से संबंधित विभागों के मुख्यालय, जिला मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय पर स्थित संस्थाओं द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण हेतु मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं जैवविविधता प्रबंधन समिति को सेकंडरी डाटा उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ ही पंजी के प्रपत्रों की आवश्यकतानुसार भारत सरकार तथा म.प्र.शासन के विभागों की वेबसाइट व अन्य स्रोतों से सेकंडरी डाटा प्राप्त किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों को पंजी निर्माण कार्य में आवश्यकतानुसार तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया है। प्रदेश में डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएं संलग्न है (परिशिष्ट-6)। ✓

## 3. People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति एवं बोर्ड स्तर की Technical Screening समिति की बैठक कार्यवाही –

जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का अनुश्रवण, गुणवत्ता का परीक्षण कार्य में राज्य स्तरीय समिति को सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से शासन स्तर से राज्य स्तरीय उप समिति एवं बोर्ड स्तर से Technical Screening समिति की बैठक का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड कार्यालय में दिनांक 17.07.2020 को किया गया।

राज्य स्तरीय उप समिति तथा बोर्ड स्तर पर गठित Technical Screening समिति द्वारा बैठक में प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय स्तर पर डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण का गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुश्रवण तथा प्रगति एवं प्रक्रिया की समीक्षा की गई। People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति (परिशिष्ट-7) एवं बोर्ड स्तर की Technical Screening समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-8)।

राज्य स्तरीय उप समिति एवं बोर्ड स्तर की समिति द्वारा पंजी में आंशिक संशोधन के सुझाव दिये गये। समिति के सुझावों को सम्मिलित करते हुये डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी को संशोधित/अद्यतन किया गया है।


राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring उप समिति एवं बोर्ड स्तर की Technical Screening समिति द्वारा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की प्रक्रिया तथा उपलब्धि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

**प्रदेश में जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन एवं लोक जैवविविधता पंजी निर्माण की उपलब्धि निम्नानुसार है—**

1. **जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन—** पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा नगरीय विकास विभाग द्वारा उनके अंतर्गत आने वाली स्थानीय निकायों को जैवविविधता प्रबंधन समिति के कर्तव्यों का निर्वहन करने संबंधित आदेश के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में समस्त पंचायत एवं नगरीय निकायों पर जैवविविधता प्रबंधन समिति का शत-प्रतिशत पूर्ण है। जैवविविधता प्रबंधन समिति के शत-प्रतिशत गठन का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-9)। \*
2. **लोक जैवविविधता पंजी निर्माण—** पंचायत (जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत) तथा नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) स्तर पर डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण की शत प्रतिशत उपलब्धि का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-10)। \*


अतः उपरोक्तानुसार प्रदेश में समस्त स्थानीय निकाय (पंचायत तथा नगरीय निकाय) स्तर पर शत-प्रतिशत जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन कार्य तथा डिजिटल एवं डायनामिक लोक जैवविविधता पंजी निर्माण कार्य का Quality Evaluation Monitoring कार्य का अनुमोदन परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से किया जाना है।

इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय People's Biodiversity Register (PBR) Quality Evaluation Monitoring समिति द्वारा परीभ्रमण से अनुमोदन प्रस्तावित है।

  
सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

दिनांक .....


उपरोक्तानुसार परिभ्रमण प्रस्ताव अनुमोदित--


  
मुख्य सचिव  
मध्यप्रदेश शासन

  
अपर मुख्य सचिव  
मध्यप्र प्रदेश शासन,  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
वन विभाग

  
प्रमुख सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
नगरीय विकास एवं आवास  
विभाग

  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक  
एवं वन बल प्रमुख  
मध्यप्रदेश

  
सदस्य सचिव  
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड  
भोपाल

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
O.A. NO. 347/2016**

**IN THE MATTER OF:**


CHANDRA BHAL SINGH ....APPLICANT  
VERSUS  
UNION OF INDIA & ORS. ..RESPONDENTS

**PROOF OF SERVICE**

S.No.	Name of Advocate	Email id
1.	Mr. A.B Akolkar, Advocate for Applicant	abakolkar@gmail.com
2.	Rahul Choudhary, Advocate for Applicant	rahulchoudhary@gmail.com
3.	Dr. Sarvam Ritam Khare, Advocate for Respondent	litigation.life@gmail.com
4.	Mr. Shuvodeep Roy, Advocate for Respondent	shuvodeep_roy@rediffmail.com
5.	Sandeep Singh Advocate for Respondent	sandeepsinghadv@gmail.com
6.	Mr. Jagdishvaran Advocate for Respondent	jagdishlawassociates@gmail.com
7.	Mr. Edward Belho, Advocate for Respondent	ebelho@gmail.com
8.	Ms. Runamoni Bhuyan Advocate for Respondent	rohmani@hotmail.com
9.	Ms. Ruchira Gupta Advocate for Respondent	ruchiragupta@gmail.com
10.	Sunil Fernandes, Advocate for Respondent	sunilfernandes@gmail.com
11.	Mr. Guntar Pramod Kumar, Advocate for Respondent	gunturpramodkumar@gmail.com
12.	Mr. Venkat Reddy, Advocate for Respondent	venkatreddy@gmail.com

13.	Mr. Anil Grover, Advocate for Respondent	anilaw2@yahoo.com
14.	Mr. Abhishek Atrey Advocate for Respondent	abhishekatrey@gmail.com
15.	Mr. Shiv Mangal Sharma, Advocate for Respondent	shivmangalsharma@gmail.com
16.	Mr. Abhishek Yadav, Advocate for Respondent	kdev.abhishek@gmail.com
17.	Ravi Kant Pal, Advocate for Respondent	advravikantpal@gmail.com
18.	Sh. A Mariarputham Advocate for Respondent	arputham25@gmail.com
19.	Ms. D. Bharti Reddy Advocate for Respondent	bharati_adv@yahoo.com
20.	Mr. Mukul Singh, Advocate for Respondent	mukulsingh@gmail.com
21.	Ravi Kant Pal, Advocate for Respondent	ravikantpal@gmail.com
22.	Ms. Arpana, Advocate for Respondent	arpanadv27@gmail.com
23.	Adv. Ritu Raj Bishwas, Advocate for Respondent	riturajbiswas@gmail.com
24.	Ms. Shashank Bajpai, Advocate for Respondent	advocateshashankbajpai@gmail.com
25.		richok407@gmail.com
26.	Ms. Meera Gopal Advocate for Respondent	meeragopal@gmail.com
27.	Adv. Anupama Ngangom, Advocate for Respondent	anupamangangom@gmail.com
28.	Sh. Shubham Bhalla, Advocate for Respondent	shubhambhalla@gmail.com
29.	Ms. Aruna Mathur, Advocate for Respondent	arunamathur@gmail.com

30.	Mr. Bhawar Pal Singh, Advocate for Respondent	banwarpalsingh@gmail.com
31.	Mr. Surodeep Roy, Advocate for Respondent	shrodeeprooy@gmail.com
32.	Mr. Rakesh Sharma Advocate for Respondent	rakeshsharmaadv@gmail.com
33.	Mr. Deepak Jain, Advocate for Respondent	deepakjain@gmail.com
34.	Mr. Ajay Jain Advocate for Respondent	Ajayjainsc114@gmail.com
35.	Mr. Shashank Saxena, Advocate for Respondent	shashanksaxena@gmail.com
36.	Mr. Justin Gorge Advocate for Respondent	justinegeorge@gmail.com



**V.K. SHUKLA**  
Counsel for Respondent No.14  
B-69, Lajpat Nagar 1,  
New Delhi – 110024  
M- 8800131234,  
E-mail: vkslawoffices@gmail.com

DATED : 07 01.2020  
PLACE : NEW DELHI



V.K. Shukla &lt;madhavnassociates@gmail.com&gt;

---

**Compliance Affidavit on behalf of Res. No. 14 in OA No. 347/2016 (Chandra Bhal Singh vs UOI)**

1 message

**V.K. Shukla** <madhavnassociates@gmail.com>

Thu, Sep 10, 2020 at 4:24 PM

To: abakolkar@gmail.com, rahulchoudhary@gmail.com, litigation.life@gmail.com, shuvodeep\_roy@rediffmail.com, sandeepsinghadv@gmail.com, jagdishlawassociates@gmail.com, ebelho@gmail.com, rohmani@hotmail.com, ruchiragupta@gmail.com, sunilfernandes@gmail.com, gunturpramodkumar@gmail.com, venkatreddy@gmail.com, anilaw2@yahoo.com, abhishekatrey@gmail.com, shivmangalsharma@gmail.com, kdev.abhishek@gmail.com, advravikantpal@gmail.com, arputham25@gmail.com, bharati\_adv@yahoo.com, mukulsingh@gmail.com, ravikantpal@gmail.com, arpanadv27@gmail.com, riturajbiswas@gmail.com, advocateshashankbajpai@gmail.com, richok407@gmail.com, meeragopal@gmail.com, anupamangangom@gmail.com, shubhambhalla@gmail.com, arunamathur@gmail.com, banwarpalsingh@gmail.com, shrodeeprooy@gmail.com, rakeshsharmaadv@gmail.com, deepakjain@gmail.com, Ajayjainsc114@gmail.com, shashanksaxena@gmail.com, justinegeorge@gmail.com  
Cc: vinod shukla <vkslawoffices@gmail.com>

Dear,

Pls, find attached a copy of the Compliance Affidavit on behalf of Resp. No. 14 in OA No. 347/2016 (Chandra Bhal Singh vs UOI).

**Regards****V.K. SHUKLA****Respondent No. 14****Advocate, Supreme Court of India****Madhav & Associates B-69 | Lajpat Nagar-1 |****New Delhi-110024 | Tele: 011-45558066****E-mail: vkslawoffices@gmail.com | Mob.: +91 8800131234 |****CONFIDENTIALITY NOTE**

The contents of this message may be legally privileged and confidential, for the use of the intended recipient(s) only. It should not be read, copied and used by anyone other than the intended recipient. If you have received this message in error, please immediately notify us at the above co-ordinates, preserve its confidentiality and delete it from your system. Thank you.

**Affidavit on behalf of R 14.pdf**

4434K